वर्ष 45 अंक 12-13, अप्रेल-मई 2023 मूल्य 20 रुपये

सामयिक वार्ता

गांधी और अंबेडकर : मकसद एक, राह अलग-अलग

क्या धर्मपरिवर्तन की आवश्यकता है?

सजप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक

सजप का राजनैतिक और आर्थिक प्रस्ताव

सुनील और राजनारायण की स्मृति में सम्मेलन

युगों बाद लौटा है सारस

कुँवर नारायण

मेरा घनिष्ठ पड़ोसी

खुद मेरा घनिष्ठ पड़ोसी है
एक पुराना पेड़
न जाने क्या तो है उसका नाम, क्या उसकी जात–
पर इतनी निकट हैं उसकी डालें
कि हमेशा बनी ही रहती हैं
मेरे घर के वरांडे में
कुछ इस तरह कि जब चाहता
हाथ बढ़ा कर सहला सकता उसका माथा
और वह गऊ-सा
मुझे निहारता रहता निरीह आंखों से
मेरी उससे गाढ़ी दोस्ती हो गई है
इतनी कि जब हवा चलती
तो लगता वह मेरा नाम लेकर
मुझे बुरा रहा, सुबह की धूप जब उसे जगाती
वह बाबा की तरह खखारते हुए उठता
और मुझे भी जगा देता।
अकसर हम घंटों तक बातें करते
इधर-उधर की बातें
अपनी-अपनी भाषा में
लेकिन भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता – वह कहता
हमारे सुख-दुख की भाषा एक ही है,
जाड़ा गर्मी बरसात उसे भी उसी तरह भासते जैसे मुझे,
पतझड़ की उदासी
वसंत का उल्लास
कितनी ही बार हमने साथ मनाया है
एक दूसरे के जन्मदिन की तरह
जब भी बैठ जाता हूं थक कर
उसकी बगल में
चाहे दिन हो चाहे रात
वह ध्यान से सुनता है मेरी बातों को,
कहता कुछ नहीं
बस, एक नया सवेरा देता है मेरी बेचैन रातों को।
उसकी बांहों में चिड़ियों का बसेरा है,
हर घड़ी लगा रहता उनका आना-जाना
कभी-कभी जब अपना ही घर समझ कर
मेरे घर में आकर ठहर जाते हैं
उसके मेहमान
तो लगता चिड़ियों का घोंसला है मेरा मकान,
और एक भागती ऋतु भर की सजावट मेरा सामान।

('इन दिनों' कविता संग्रह से साभार)

सामयिक वार्ता

अप्रैल-मई 2023 वर्ष 45 अंक 12-13

संस्थापक संपादक : किशन पटनायक

संपादक : **अफलातून**

संपादक सहयोग

प्रो. बलबीर जैन, अरविंद मोहन, हरिमोहन, राजेंद्र राजन, प्रियदर्शन, अरुण त्रिपाठी, प्रो. महेश विक्रम, लोलार्क द्विवेदी, संजय गौतम, चंचल मुखर्जी, कमल बनर्जी, संजय भारती

परामर्श मंडल

सच्चिदानंद सिन्हा, प्रो. कश्मीर उप्पल, स्मिता

रूप सज्जा : सुशील कांति

कार्यालय : 20 ए समसपुर जागीर, पांडव नगर
दिल्ली - 110091

ईमेल : varta3@gmail.com
sjp.delhistate@gmail.com

सदस्यता शुल्क :

एक प्रति	: 20 रुपए
वार्षिक शुल्क	: 200 रुपए
संस्थागत वार्षिक शुल्क	: 300 रुपए
छह साला शुल्क	: 1000 रुपए
आजीवन शुल्क	: 3000 रुपए

खाता नाम : सामयिक वार्ता या Samyik Varta
बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda)
शाखा : सोनारपुरा, वाराणसी (उ. प्र.)
Sonarpura, Varanasi (U.P.)
आईएफएससी कोड
खाता संख्या : 40170100005458
IFSC : BARB0SONARP
(यहां दूसरा B के बाद जीरो है, ओ नहीं है, एस के बाद O (ओ) है
MICR CODE : 221012030
(इस खाते में पैसे जमा करने तथा ग्राहक के पते की सूचना ईमेल अथवा मोबाइल 8765811730 / 8004085923 पर दें।)

इस अंक में

कविता
मेरा घनिष्ठ पड़ोसी
कुँवर नारायण / 2

संपादकीय / 4

नजरिया / 5

गांधी और अंबेडकर : मकसद एक, राह अलग-अलग
अरुण कुमार त्रिपाठी / 6

क्या धर्म परिवर्तन की आवश्यकता है?
भीमराव अंबेडकर /11

सजप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक
नीरज सिंह / 19

सजप का राजनैतिक व आर्थक प्रस्ताव / 21

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र / 23

किसान आदिवासी संगठन - सजप केसला जिले की रपट / 27

समाजवादी नेता सुनील और राजनारायण की स्मृति में सम्मेलन / 29

युगों बाद लौटा है सारस
अतुल कुमार/ 31

संपादकीय

लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का मतलब

लोकसभा चुनाव सामने है। केंद्र से भाजपा की अगुवाई की सरकार को हटाना जरूरी है। उसके शासनकाल में देश के लोकतांत्रिक ढांचे और सांवैधानिक व्यवस्था पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। उसकी केंद्र सरकार की ओर से किए गए तमाम फैसलों और कार्यों से लोकतांत्रिक ढांचे और सांवैधानिक व्यवस्था पर आघात और आम लोगों के अहित ही हुए हैं।

गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, विस्थापन जैसी समस्याएं बढ़ती गई है। शिक्षा-चिकित्सा, कृषि, उद्योग समेत तमाम क्षेत्रों में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। आदिवासियों, दलितों, महिलाओं पर अत्याचार और अन्याय बढ़ा है। उनकी हकमारी हो रही है। जो भी उनके हकों और हितों के कानून हैं, उन्हें जैसे-तैसे बदला जा रहा है। उसकी ओर से जिन विकास कार्यों को गिनाया जाता है, उनमें साधारण लोगों की रकम लगी है लेकिन फायदा उन्हें न होकर मुठ्ठी भर लोगो को हो रहा है। वे मुठ्ठी भर लोग शीर्ष के पूंजीपति, सत्ता में बैठे राजनेता और उनके मददगार अफसर व बिचौलिए हैं। जाति-पात, धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता को बेहताशा उभारा गया है। आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों और महिलाओं के मान-सम्मान पर आघात पर आघात हो रहा है। सामाजिक एकता, सद्भाव, से लगातार खिलवाड़ हुआ है। झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के अनुकूल माहौल बनाया जा रहा है। कोरोना के वक्त केंद्र सरकार ने एक तरफ जनविरोधी कानून बनाया और दूसरी तरफ तबाह हुए लोगों पर जुल्म ढाया।

विरोधियों को केवल बोलने ही नहीं दिया जा रहा, कुचला भी जा रहा है। विरोधियों की छवि 'देशद्रोही' के रूप में पेश की जा रही है। जो सचमुच में देशद्रोही थे, उन्हें देशभक्त के रूप में स्थापित करने के लिए इतिहास को ही तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। लेखकों और पत्रकारों को 'पुतुल' के रूप में गढ़ा जा रहा है। सरकारी मिशनरी को दलीय मिशनरी में तब्दील की जा रही है। सत्ता को अपने हाथ न जाने देने के लिए केंद्र का सत्ता दल के शीर्ष के नेता तानाशाह बनते गए हैं।

धीरे-धीरे तानाशाही लादी जाने लगी है। 1975 में जो तानाशाही लादी गई थी, वह सीधे दिख रही थी। लेकिन 2014 के बाद लगातार जो तानाशाही आहिस्ते-आहिस्ते, विभिन्न बहाने लादी जा रही है, वह आसानी से और सीधे दिखाई नहीं दे रही है। 1975 की तानाशाही का मुकाबला राजनैतिक आधार पर संभव हुआ। लेकिन 2014 के बाद की तानाशाही का मुकाबला केवल राजनैतिक आधार पर संभव नहीं है, सामाजिक-सांस्कृतिक आधार पर भी जरूरी है।

इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत ही चुनौतीपूर्ण चुनाव है। केंद्र में भाजपा के फिर से सत्ता में आने की स्थिति में क्या लोकतांत्रिक ढांचा और संविधान बच पाएगा? इस सवाल का किसी भी लोकतंत्र और संविधान प्रेमी को सालना स्वाभाविक है। केंद्र सत्ता से भाजपा और उसके गठबंधन को हटाना ही अहम है।

विरोधी पार्टियां आने वाले खतरे को महसूस करने लगी हैं। वे भाजपा और उसकी केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होने और आपस में तालमेल कर उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगी हैं। साफ मंशा और मजबूत इच्छाशक्ति से उनकी ओर से भाजपा और केंद्र सरकार के विरोध में बड़ी सावधानी से कदम उठाए गए तो उसका अच्छा नतीजा निकल सकता है। विरोधी पार्टियों में कम खामियां नहीं हैं, लेकिन अभी देश की सबसे बढ़ी शत्रु भाजपा और आरएसएस है।

विभिन्न राजनैतिक मुद्दों को लेकर भाजपा के विरोध में आगे आने की जरूरत हैं ही, पूरी ताकत से आरएसएस के एजेंडों की भी धज्जियां उड़ाना जरूरी है। भाजपा की ताकत आरएसएस है। आरएसएस इस देश को 'हिदुत्व' की आग में झोंक देने और मौजूदा संविधान को खत्म करने के लिए हर हथकंड़ा अपना रहा है। वह अपने राजनीतिक संगठन भाजपा को सत्ता लाने में कामयाब तो हो गया लेकिन उसके मार्फत हिंदुत्व की वापसी और संविधान के खात्मे के मकसद को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसके लिए वह आतुर है।

गंप्र

बांटने की कोशिश?

राज्य सरकार के एक फरमान के चलते पश्चिम बंगाल के हिंदी, उर्दू और संथाली भाषी युवजन परेशान हैं। फरमान के मुताबिक राज्य से सिविल सर्विस परीक्षा में हिंदी, उर्दू और संथाली भाषा में लिखे जाने वाले एक परचा को हटा दिया गया है। हिंदी, उर्दू और संथाली भाषा के युवजनों को बदले में बांग्ला में लिखे जाने वाले परचे को लेकर परीक्षा देनी होगी। जिन्हें बांग्ला या नेपाली में लिखना नहीं आता, वे परीक्षा नहीं दे सकेंगे।

हिंदी, उर्दू और संथाली भाषा के युवजनों की मांग है कि हिंदी, उर्दू और संथाली भाषा के माध्यम वाले उच्च विद्यालयों में जब तक बांग्ला की पढ़ाई नहीं कराई जाती तब तक के लिए हिंदी, उर्दू और संथाली भाषा में लिखे जाने वाले परचे को नहीं हटाया जाए। सरकार पहले हिंदी, उर्दू और संथाली भाषी युवजनों को बांग्ला में शिक्षा देने की व्यवस्था करें, तब अपने नए फरमान पर अमल करे। अपनी मांग को लेकर हिंदी, उर्दू और संथाली भाषी युवजन आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनकी मांगों पर गौर करने की बजाय चुप है।

गौरतलब है कि पहले हिंदी, उर्दू और संथाली माध्यम के उच्च विद्यालयों में बांग्ला भाषा की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन उस व्यवस्था को काफी पहले ही खत्म कर दिया गया है। यह अच्छी व्यवस्था थी और इसके तहत राज्य के हिंदी, उर्दू और संथाली भाषी युवजन बांग्ला लिखना-पढ़ना सीख लेते थे। उस समय सिविल सर्विस परीक्षा में हिंदी, उर्दू और संथाली भाषा के परचे को नहीं हटाया गया था। बांग्ला भाषा के जानकार होते हुए भी अपनी सुविधा को देखते हुए हिंदी, उर्दू और संथाली भाषी अपनी भाषा के परचे को चुनते थे और लिखित परीक्षा देते थे। अरसे जब हिंदी, उर्दू और संथाली भाषा के माध्यम के उच्च विद्यालयों में बांग्ला भाषा की शिक्षा नहीं दी जाती तब सरकार ने सिविल सर्विस परीक्षा से बांग्ला भाषा के परचे को अनिवार्य कर दिया है।

सरकार के इस फरमान से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार हिंदी, उर्दू और संथाली भाषी युवजनों को सरकारी नौकरी में रोकना चाहती है? उन्हें परीक्षा से वंचित करना क्या उनके साथ अन्याय और नागरिक अधिकारों का हनन नहीं है? क्या सरकार उन्हें बेरोजगार बनाए रखना चाहती है और दूसरे राज्य में नौकरी के लिए जाने का दबाव बना रही है? इससे क्या बंगाली-गैर बंगाली द्वेष नहीं उभरेगा?

सरकार ने ऐसा फरमान ऐसे वक्त में जारी किया है जब केंद्र का सत्ता दल ऐसी नीतियां अख्तियार कर रहा है जिससे देश में भेदभाव, जाति विद्वेष, भाषा विद्वेष, धार्मिक अंधता व उन्माद को बढ़ावा मिले।

वह रेल, यह रेल

अधिकतर युवजनों को पता नहीं होगा कि कभी रेल गाड़ियों में तीसरे दर्जे वाले डब्बे होते थे। 1977 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई तो समतामूलक सिद्धांत के तहत तीसरे दर्जे को खत्म कर दूसरे और पहले दर्जे को रहने दिया। रेल में सुविधा देने के मामले में दो श्रेणी को उचित माना गया। रेल देश को जोड़ती है और इस व्यवस्था का अच्छा संदेश गया। लेकिन कुछ साल बाद रेल का जैसे-जैसे विकास हुआ वैसे-वैसे इस व्यवस्था के उलट नई-नई व्यवस्था कायम होने लगी और अभी भी जारी है। कई दर्जे के डब्बे हो गए हैं। दूसरे दर्जे के अलावा दूसरे दर्जे का शयनयान (स्लीपर), एसी थ्री टीयर, एसी टू टीयर, एसी वन हैं ही, अनेक तरह की अलग-अलग रेल गाड़ियां चलाई जा रही हैं। मौजूदा सरकार ने 'वंदे भारत' नाम से नई रेल गाड़ी चलाना शुरू किया है। इस बीच दूरगामी रेलगाड़ियों में दूसरे दर्जे के डब्बे काफी सीमित कर दिए गए हैं। स्पीलर के डब्बे भी घटाए जाने लगे हैं। ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराने के नाम पर लोगों की श्रेणियां बढ़ाई जा रही है। असल में कल्याणकारी रेल नहीं, मुनाफा की रेल चलाई जा रही है।

संवादिक

गांधी और अंबेडकर : मकसद एक, राह अलग-अलग

अरुण कुमार त्रिपाठी

(लेखक ने सामयिक वार्ता के लिए 26 पृष्ठों में लिखा यह लेख भेजा। पूरा लेख लेने की मंशा होते हुए भी हम इसका कुछ ही अंश ले पा रहे हैं। यह लेख 14 अप्रैल 2016 को अंबेडकर जयंती के मौके पर महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में दिए गए व्याख्यान पर आधारित है। –सं.)

महात्मा गांधी और डा. भीमराव अंबेडकर के मतभेदों पर काफी कुछ लिखा गया है और आगे भी लिखा जाता रहेगा। उन मतभेदों से क्या संदेश निकाला जाएगा और उनका किस प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा यह तत्कालीन राजनीति पर निर्भर करता है। यह उन विचारकों और विश्लेषकों पर भी निर्भर करता है जो आधुनिक भारत के इन दो महापुरुषों को अपने-अपने कोणों से देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। एक कोण तो यह है कि दोनों रेल की दो पटरियों की तरह हैं और उनका मिलन कभी हो ही नहीं सकता। यानी वे भारतीय राजनीति के दो सिरे हैं और उनमें मेल-मिलाप की कोशिश इतिहास के साथ छल ही है। यह नजरिया कभी अंबेडकर को नायक तो गांधी को खलनायक और कभी गांधी को नायक और अंबेडकर को खलनायक बनाता है। धनंजय कीर (डा. बाबा साहेब अंबेडकर : जीवन चरित) और अरुंधती राय (एनीहिलेशन आफ कास्ट) के विश्लेषण को लगभग पहले वाली स्थिति में तो अरुण शौरी (वर्शिपिंग फाल्स गाड) वाले नजरिया को दूसरी श्रेणी में रखा जा सकता है। दूसरी नजरिया यह है कि उन्हें मिला कर सारे मतभेदों को समाप्त मान लिया जाए और उनके राजनीतिक टकराव को अतीत मान कर भावी दिशा दोनों को मिला कर तय की जाए। तीसरा कोण यह है कि उनके बीच मतभेद थे और उसके कारण देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ा। उस प्रभाव के कारण दोनों ने अपने नजरिए में बदलाव किए और उन बदलावों को समझने से ही राष्ट्रनिर्माण की बारीकियां समझी जा सकती है।

गांधी और अंबेडकर के रिश्तों को समझने के लिए सबसे पहले उनके बीच हुए पहली सीधी मुलाकात का वर्णन आवश्यक हो जाता है। महात्मा गांधी ने पहली बार अंबेडकर से मिलने की इच्छा बंबई में 9 अगस्त 1931 को व्यक्त की। गांधी ने पत्र लिख कर पूछा कि क्या उसी दिन रात आठ बजे उनके पास मिलने का समय है। गांधी ने इस पत्र में लिखा कि अंबेडकर को हमारे पास यहां आना सुविधाजनक न हो तो मैं ही उनके यहां आ जाऊंगा। इस पर अंबेडकर ने जवाब भिजवाया कि हम ही रात आठ बजे मिलने आ जाएंगे। लेकिन शाम तक अंबेडकर का बुखार बढ़ गया था और उन्होंने संदेश भिजवाया कि मैं बुखार खत्म होने पर आपसे मिलूंगा। अंबेडकर ठीक होने में पांच दिन लग गए और इस तरह 14 अगस्त 1931 को अंबेडकर बंबई के मणि भवन में दोपहर दो बजे अपने नौ सहयोगियों के साथ गांधी से मिलने पहुंचे। गांधी अपने सहयोगियों और आगंतुकों से बातचीत करने में व्यस्त थे। गांधी ने अंबेडकर की ओर मुखातिब होने में कुछ समय लगाया और इस बीच अंबेडकर असहज होने लगे। गांधी ने जब उनकी तरफ ध्यान दिया तो उन्होंने उनसे सीधे प्रश्न ही किया।

गांधी जी : डाक्टर आपका क्या कहना है?

अंबेडकर : आपका क्या कहना है यही सुनने के लिए आपने मुझे बुलाया है इसलिए मैं आ गया हूं। वही आप मुझे पहले बताइए। अगर कुछ प्रश्न करने हैं तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसके उत्तर दूंगा।

गांधी जी : मेने कानों में ऐसी बात पड़ी है कि मेरे और कांग्रेस के खिलाफ आपकी कुछ शिकायतें हैं। मैं अपने बचपन से ही

अस्पृश्यता की समस्या पर विचार करता आया हूं। आपका तो जन्म भी उस समय नहीं हुआ होगा। कांग्रेस के कार्यक्रम में अस्पृश्यता का सवाल शामिल करते हुए मुझे कष्ट उठाने पड़े। ... उस समय मेरा काफी विरोध हुआ। हिंदू-मुसलमानों की समस्या की अपेक्षा अस्पृश्यता निर्मूलन की समस्या को मैं अधिक महत्वपूर्ण और आत्मीयता की मानता हूं। इसलिए अस्पृश्यों के लिए कांग्रेस ने अब तक बीस लाख रुपए खर्च किए हैं। यह सच्चाई होने के बावजूद मेरे और कांग्रेस के खिलाफ आपकी शिकायतें क्यों हैं , यह मुझे मालूम नहीं। आपको कुछ बताना है तो आप मुझे खुले दिल से बता सकते हैं।

अंबेडकर : यह निर्विवाद सत्य है कि जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से आप यह कार्य करते आ रहे हैं। हममें से बड़े और बूढ़े लोग यह बड़प्पन का मुद्दा कभी-कभी सामने लाते हैं। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं यह यथार्थ मैं कैसे इनकार कर सकता हूं। यह बात भी सच है कि आपके आग्रह से ही कांग्रेस ने अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम को स्वीकृति दी। लेकिन औपचारिक स्वीकृति देने के अलावा कांग्रेस ने और कुछ नहीं किया यह मेरी मुख्य शिकायत है। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने बीस लाख रुपए अस्पृश्यों के लिए खर्च किए। ... लेकिन मैं आपसे साफ-साफ कहना चाहता हूं कि आपके यह सारे रुपए पानी में गए। इतनी बड़ी रकम अगर मुझ जैसे व्यक्ति के हाथ में होती तो उसका उचित रूप में और आत्मीयता से विनियोग करके मैंने अस्पृश्य समाज को बड़ी उत्तेजना दी होती। अगर ऐसा होता तो मैं ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर सकता था कि आप स्वयंस्फूर्त मुझसे मिलते। आपके कहने के अनुसार कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी का कपड़ा पहनने जैसी शर्त आपने डाल रखी है, वैसी शर्त आपको अस्पृश्यता निवारण के लिए कांग्रेस का सदस्य बनने वालों पर लगानी चाहिए थी। अस्पृश्यों के बच्चों को अपने घर में विद्यार्थी के रूप में रखूंगा या अपने घर में उन्हें कम से कम सप्ताह में एक दिन भोजन के लिए आमंत्रित करूंगा ... कांग्रेस का कहना है कि अंग्रेज सरकार का हृदय परिवर्तन और चित्तशुद्धि नहीं हुई है। जब तक इस तरह की चित्तशुद्धि नहीं होगी तब तक हम कांग्रेस पर या स्पृश्य हिंदुओं पर भरोसा नहीं करेंगे। हम स्वालंबन और आत्मविश्वास का आश्रय लेकर अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप जैसे महात्मा पर भी हम भरोसा नहीं करेंगे। ...

अंबेडकर की इस टिप्पणी से माहौल गंभीर हो गया। अंबेडकर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपनी आवाज को तेज करके कहा, 'गांधी जी मेरे पास मातृभूमि नहीं है।'

उनकी इस टिप्पणी से गांधी जी सकपकाए और बीच में ही उन्हें रोक कर बोले, 'डाक्टर साहब, आपके पास मातृभूमि है। उसकी सेवा किस तरह की जाए वह आपके यहां के कार्यों से नहीं, तो गोलमेज परिषद के प्रथम अधिवेशन का जो वृतांत मेरे कान में पड़ा है, उससे सिद्ध हो गया है।'

अंबेडकर : आप कहते हैं कि मेरे पास मातृभूमि है लेकिन मैं फिर कहता हूं कि मेरे पास मातृभूमि नहीं है। जिस देश में कुत्ता जिस तरह की जिंदगी जीता है उस तरह की हम नहीं गुजार सकते। कुत्तों-बिल्लियों को जितनी सुविधाएं प्राप्त हैं उतनी सुविधाएं हर्ष के साथ जिस देश में हमें नहीं मिलती हैं, उस भूमि को मेरी जन्मभूमि और उस भूमि के धर्म को अपना धर्म कहने के लिए मैं ही क्या, जिसे इनसानियत का ज्ञान हुआ है और जिसे स्वाभिमान की जरा भी परवाह है, ऐसा कोई भी स्पृश्य तैयार नहीं होगा ... मेरे पास मातृभूमि नहीं है लेकिन सदसद्विवेक बुद्धि है। मैं इस राष्ट्र या राष्ट्रधर्म का उपासक नहीं हूं लेकिन सदसद्विवेक बुद्धि का मैं अनन्य उपासक हूं। ...

यह मुलाकात मानो अंबेडकर और गांधी जी की पहली सलामी ही थी। वैसे दूसरे गोलमेज सम्मेलन तक महात्मा गांधी को लगता था कि अंबेडकर हरिजनों के कल्याण के लिए संघर्ष करने वाले कोई ब्राह्मण नेता होंगे।

महात्मा गांधी और डा. अंबेडकर के बीच दूसरा टकराव गोलमेज सम्मेलन के दौरान लंदन में हुआ। अंबेडकर लंदन 29 अगस्त को पहुंच गए थे और गांधी के जाने की संभावना नहीं थी। लेकिन बाद में स्थितियां बदली और शिमला में वायसराय से मिलने के बाद गांधी 29 अगस्त को बंबई से निकल कर 12 सितंबर को लंदन पहुंच गए। सम्मेलन 7 सितंबर को शुरू हो चुका था। महात्मा गांधी का पहला भाषण 15 सितंबर को हुआ। इसमें गांधी जी ने कहा, 'कांग्रेस संस्था किसी एक जाति, धर्म या वर्ग के लोगों की प्रतिनिधि न होकर सब धर्मों की जातियों की एकमेव प्रतिनिधि है। कांग्रेस ने दो मुख्य ध्येय तय किए हैं – अस्पृश्यता निवारण और हिंदू-मुस्लिम एकता। ऐसी संस्था ने मुझे एकमेव प्रतिनिधि के रूप में मांग रखने के लिए भेजा है। कांग्रेस मुसलमान

वर्ग और अन्य अल्पसंख्यक वर्ग की प्रतिनिधि है। संक्षेप में, वह सभी जातियों, सभी धर्म और सभी वर्गों की एकमेव प्रतिनिधि है। जब गांधी जी ने कहा कि, 'मैं आपके सम्मुख यह दावा करता हूं कि कांग्रेस केवल ब्रिटिश-हिंदुस्तान की ही नहीं, रियासती जनता के 85-95 प्रतिशत लोगों की प्रतिनिधि है।' इस पर अंबेडकर का कहना था कि, 'जिन पांच प्रतिशत लोगों की प्रतिनिधित्व कांग्रेस नहीं करती, वे कौन हैं?' गांधी जी और अंबेडकर के बीच रियासतों के सवाल पर भी नोंकझोंक हुई।

इसके बाद गांधी जी जातियों और संप्रदायों की जटिल समस्या की ओर मुड़े। उन्होंने कहा,'हिंदू, मुसलमानों और सिखों के स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की समस्याओं पर विचार करके उसी स्वीकृति दी गई है। ऐतिहासिक कारण ध्यान में रख कर डा. अंबेडकर को जो कहना है वह पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आया है। फिर भी अस्पृश्य वर्ग के कल्याण संबंधी बातें आगे पेश करने की जिम्मेदारी में कांग्रेस अंबेडकर के साथ सहयोग करेगी। ...

गांधी के इस ऐलान पर अंबेडकर ने यही धारणा बनाई कि वे अस्पृश्यों के कल्याण के विरुद्ध एक प्रकार के युद्ध का एलान कर रहे हैं। लंदन में संविधान समिति की बैठक में संवाद बढ़ने के साथ गांधी के साथियों और अंबेडकर के बीच दूरी बढ़ती गई। एक संवाद में मदन मोहन मालवीय ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पर अगर आवश्यकतानुसार धन खर्च किया जाए तो अस्पृश्यता इतिहास का विषय बन जाएगी। इस पर अंबेडकर का सवाल था कि सुशिक्षित होने पर भी मैं अस्पृश्य क्यों गिना जाता हूं? गलतफहमी के इन झोकों के बीच अल्पसंख्यक समिति का कार्य आरंभ होने से पहले गांधी के बेटे देवदास गांधी ने अंबेडकर से भेंट की। उन्होंने गांधी और अंबेडकर की भेंट सरोजिनी नायडू के घर पर करवाई। अंबेडकर ने बातचीत की लेकिन उन्हें लगा कि गांधी जी अपना दिल खोल नहीं रहे हैं। उधर गांधी जी मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ मिलने की तैयारी कर रहे थे।

17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया और कहा कि अछूतों को अलग निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा। अगले ही दिन गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखा कि वे इस फैसले का अपनी जान की कीमत पर विरोध करेंगे। वे येरवदा जेल में थे। ...वे चाहते थे कि इससे सवर्ण हिंदू पश्चाताप करेंगे और अंबेडकर जैसे व्यक्ति को पृथक निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने के लिए मनाया जा सकेगा।

गांधी के पत्र का सचमुच चमत्कारिक प्रभाव रहा। जब मैकडोनाल्ड को लिखा गया गांधी का पत्र 12 सितंबर को प्रेस को जारी किया गया तो वह बिजली की तरह कौंध गया। ... भारत भर में जनसभाएं होने लगीं जिनसे गांधी से उपवास और मैकडोनाल्ड से अवार्ड वापस लेने की मांग उठ गई।

विकट और डराने वाले माहौल में येरवदा जेल में शुरू हुए संवाद गांधी जी और अंबेडकर बेहद मार्मिक और ऐतिहासिक हैं। अंबेडकर : महात्मा जी आप हम पर बड़ा ही अन्याय करते आ रहे हैं। यह मेरी तकदीर है कि मैं अन्यायी दिखाई पड़ू। इस तरह की नौबत मुझ पर हमेशा आती है। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। गांधी जी : आपकी बात पर मेरी पूरी सहानुभूति है। डाक्टर आप जो कहते हैं उनमें से बहुत सी बातों से मैं आपसे सहमत हूं। परंतु आपने कहा था कि मेरे जिंदा रहने का आपको भी कुछ उपयोग है? अंबेडकर : जी हां महात्मा जी, अगर आपने अपनी जिंदगी अस्पृश्य वर्ग के कल्याण के लिए व्यतीत की तो आप हमारे वीर पुरुष बन जाएंगे। गांधी जी : ठीक है मेरे प्राण कैसे बचाए जाएं यह तो आप जानते ही हैं। अतः उसके अनुसार मेरे प्राण बचाए जाएं। मैं जानता हूं कि आपके लोगों को प्राप्त हुए अधिकार आप छोड़ने को तैयार नहीं हैं। आपके द्वारा सुझाई गई पैनल की पद्धति मैं स्वीकार करता हूं। परंतु मेरी यह बात आप स्वीकार करें कि आपकी पैनल पद्धति आपकी सभी आरक्षित सीटों पर लागू की जाए। आप जन्म से अस्पृश्य हैं और मैं हृदय से।...

उसके बाद काफी सोच विचार और खींचतान और कड़ी सौदेबाजी के उपरांत 24 सितबर 1932 की शाम येरवदा जेल में पुणे करार हुआ। मैकडोनाल्ड की पूर्व व्यवस्था के अनुसार अस्पृश्य वर्ग को 71 सीटें मिलनी थी लेकिन अब उन्हें 148 सीटें दे दी गई। यह उपलब्धि दोगुनी थी। लेकिन अस्पृश्य वर्ग को अपने समाज के प्रत्याशी को खुद से चुन कर फिर स्पृश्य वर्ग के प्रत्याशी चुनने का जो अधिकार मिल रहा था वह चला गया। ... पुणे करार के बाद राजनीतिक रूप से गांधी और अंबेडकर में समझौता जरूर हुआ और दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व के करीब आए लेकिन जाति व्यवस्था के सवाल पर उनका टकराव बना रहा। ...

संविधान सभा में अंबेडकर के शामिल होने की कथा भी रोचक

और तनावपूर्ण है। 1946 में ले संविधान सभा के लिए पहली बार बंगाल से चुने गए। बंगाल के 250 सदस्यीय विधानसभा में अंबेडकर की पार्टी आल इंडिया शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ते 26 सदस्य थे। कांग्रेस ने न तो अंबेडकर के लिए सीट खाली की और न ही उनका समर्थन किया। इस सीट को जीतने के लिए अंबेडकर को मुस्लिम लीग के नेता जोगेंद्रनाथ मंडल की मदद लेनी पड़ी। जोगेंद्रनाथ मंडल को नमोशूद्रों का समर्थन प्राप्त था और उन्होंने अंबेडकर के लिए प्रचार किया। इस तरह से डा. अंबेडकर संविधान सभा में पहुंच गए लेकिन उनकी यह सीट ज्यादा दिन रह नहीं पाई। इसी बीच देश का विभाजन हो गया और डा. अंबेडकर की वह सीट पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। उनका समर्थन करने वाले जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान चले गए और वे वहां के कानून मंत्री बन गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें पाकिस्तान की हकीकत का अहसास हुआ और उन्होंने महसूस किया कि यहां अछूत समाज के साथ न्याय नहीं होगा और न ही पाकिस्तान वादे के मुताबिक एक सेक्यूलर देश रहने वाला है। इसलिए वे भारत आ गए।

इधर अपनी सीट छिन जाने से अंबेडकर परेशान हुए। उन्होंने अपनी सीट हासिल करने के लिए वायसराय वावेल से बात की। वायसराय ने इस मामले में कुछ करने में असमर्थता जताई। हालांकि अंबेडकर का कहना था कि जिस संविधान सभा में अछूतों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा उसके द्वारा बनाया गया संविधान उन्हें और उनके लोगों को स्वीकार्य नहीं होगा। इसके लिए अस्पृश्य समाज के लोगों ने देश के भीतर सत्याग्रह भी शुरू किया। कांग्रेस पार्टी और नेतृत्व पर दबाव डालने के लिए अंबेडकर लंदन भी गए। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री एटली से मिल कर इस बारे में दबाव बनाने का अनुरोध किया। एटली ने भी कहा कि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है और वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अंबेडकर ने मंत्रिमंडल के अकेले अनुसूचित जाति के सदस्य जगजीवन राम से कहा कि वे भी तब तक मंत्रिमंडल में न शामिल हो जब तक उन्हें (अंबेडकर को) न शामिल किया जाए। ... आखिर में उनका यह प्रयास काम आया और संविधान सभा के अध्यक्ष डा. राजेंद्र प्रसाद ने महाराष्ट्र के प्रधान बीजी खेर से कहा कि प्रसिद्ध विधिवेत्ता और शिक्षा शास्त्री एमआर जयकर के इस्तीफा देने से जो सीट खाली हुई है उस सीट पर वे डा. अंबेडकर का चयन करवाएं। इस तरह डा. अंबेडकर दोबारा संविधान सभा में चुन कर लाने में डा. राजेंद्र प्रसाद ने पहल की थी। जिस कांग्रेस पार्टी ने बंगाल प्रांत में उनके चुने जाने का विरोध किया था उसी ने उनका बांबे प्रांत से चयन करवाया। निश्चित तौर पर इस प्रयास के पीछा महात्मा गांधी की सलाह की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। कहना न होगा कि मुस्लिम लीग की ओर से संविधान सभा के बायकाट पर अफसोस जताते हुए गांधी ने कहा, 'संविधान सभा में शामिल होने के लिए डा. अंबेडकर काफी हैं।'

अस्पृश्यता के बारे में डा. अंबेडकर की चेतना विद्रोही और आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर आधारित थी। उसका समाधान सत्ता में हिस्सेदारी में दिखाई देता था। गांधी की चिंताएं मानवीय और आध्यात्मिक थीं और उन्हें इसका समाधान हृदय परिवर्तन में दिखाई देता था। लेकिन गांधी अंबेडकर के दबावों को लगातार महसूस कर रहे थे और इस बारे में राजनीतिक उपाय करने के लिए उनके हृदय में भी परिवर्तन हो रहा था। यही वजह थी कि अंबेडकर को गांधी की चिंताएं पाखंड लगती थी जबकि गांधी को अंबेडकर की चिंताएं वाजिब किंतु समाधान अलगाववादी लगता था। अंबेडकर गांधी पर लगातार तीखे प्रहार कर रहे थे और गांधी ने एक बार उसका कड़ा प्रतिरोध जरूर किया लेकिन बाद में उस हर कीमत पर सहने को तैयार थे। गांधी अपने प्रतिद्वंद्वियों से लड़ते जरूर थे लेकिन उनके शब्द कभी कड़े नहीं होते थे। अंबेडकर अपने प्रतिद्वंद्वी से कानूनी, राजनीतिक और नैतिक तर्कों से तो लड़ते ही थे और कठोर शब्दों के प्रयोग से वे झिझकते नहीं थे। लेकिन इन दोनों नेताओं में समानता का बड़ा आधार यही है कि हिंसा में दोनों का विश्वास नहीं था।

गांधी की राजनीति और उनकी महात्मा की छवि के लिए कड़ी आलोचना का भाव रखते हुए भी समय समय पर अंबेडकर के भीतर गांधी के लिए सम्मान और सहयोग का भाव छलकता था। इसकी एक झलक 1927 के उस महाड़ सत्याग्रह में भी दिखती है जिसमें दिसंबर की रैली में लगे टेंट में गांधी की फोटो थी। इसके दो साल पहले अंबेडकर ने बेलगाम परिषद की एक बैठक में कहा था, 'जब हमारे नजदीक कोई नहीं आ रहा है तब महात्मा गांधी की तरफ से दिखाई गई सहानुभूति भी छोटी चीज नहीं है।'

गांधी जी डा. अंबेडकर से सतत संवाद चाहते थे और उन्हें अपने नेतृत्व में सक्रिय करना चाहते थे। पर ऐसा गांधी जी के

चिंतन और उससे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं की सोच के कारण नहीं हो सका। गांधी हिंदुओं और विशेष कर सवर्ण हिंदुओं का साथ छोड़ नहीं सकते थे और अंबेडकर उनके साथ जा नहीं सकते थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम सवर्ण नेताओं को आजादी की लड़ाई के अलावा सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई की जरूरत ही नहीं महसूस होती थी। यही वजह है कि गांधी के आंदोलन में आरंभ से शामिल होने वाले रामास्वामी नाइकर उर्फ पेरियार जैसे नेता कांग्रेस से अलग हो गए। दूसरी तरफ सवर्ण और कट्टर हिंदुओं ने इस मुद्दे पर गांधी का कम विरोध नहीं किया। जब 1933 में येरवदा जेल से छूटने के बाद गांधी ने छुआछूत के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाया तो उनके खिलाफ नारे लगाए गए और काले झंडे दिखाए गए। परचे निकाल कर गांधी जी की निंदा की गई और उनकी तस्वीरें जलाई गई। पुणे में एक कार पर यह सोच कर बम फेंका गया कि उसमें गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। उस हमले में सात लोग घायल हो गए। कराची में कुल्हाड़ी लिए एक व्यक्ति पकड़ा गया जो उन पर हमले की तैयारी में था। उनके नजदीकी रिश्तेदारों और मित्रों ने उनसे संबंध तोड़ लिए।

गांधी ने 1933-34 के बीच नौ महीनों तक हरिजन यात्रा की और इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, दक्षिण भारत और ओडिशा को मिला कर 12 हजार 504 मील की यात्रा की जिसका समापन काशी में हुआ। गांधी ने काशी में विशाल रैली को संबोधित किया। उन्होंने जनवरी 1934 में बिहार में आए भीषण भूकंप के लिए छुआछूत के पाप का दंड बताया। टैगोर ने गांधी पर अतार्किकता को बढ़ाने का आरोप लगाया।

एक मई 1934 को महात्मा गांधी के बुलावे पर डा. अंबेडकर वर्धा के आश्रम में आए और गांधी जी से लंबी वार्ता की। उस समय डा. अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के संकल्प की चर्चाएं जोरों पर थीं। तब गांधी ने उनसे अनुरोध किया था कि वे ऐसे धर्म को अपनाएं जिससे हिंदू धर्म और इस देश को कम से कम हानि हो। जब महात्मा गांधी की हत्या के आठ साल बाद डा. अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ कर बौद्ध धर्म अपनाया तब उन्होंने गांधी जी को दिए वचन का स्मरण किया। उन्होंने कहा था कि जब समय आएगा तो वे देश के लिए सबसे कम हानिकारक पथ का चयन करेंगे। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म अपना कर उन्होंने यह सुनिश्चित कर दिया कि इससे भारत खंडित नहीं होगा।

गांधी जी की हत्या के दो महीने बाद जब अंबेडकर ने एक ब्राह्मण डाक्टर महिला से विवाह किया तो पटेल ने उनको लिखा. 'मुझे यकीन है कि अगर बापू होतो तो वे आपको अपना आशीर्वाद जरूर देते।' जवाब में अंबेडकर ने लिखा, 'मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर बापू जीवित होते तो वे जरूर हमें आशीर्वाद देते।' ऐसा इसलिए क्योंकि गांधी ने तय कर लिया था कि वे उस विवाह में नहीं जाएंगे और न ही आशीर्वाद देंगे जहां एक पक्ष हरिजन न हो।

महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो डा. अंबेडकर को चलने-फिरने में दिक्कत थी। उन्होंने बिड़ला भवन पहुंच कर शोक जताया और गांधी के शव के दर्शन किए। वे उनकी शवयात्रा में कुछ दूर गए भी लेकिन भीड़ ज्यादा थी इसलिए बहुत दूर नहीं जा पाए और लौट आए।

महात्मा गांधी की हत्या के नौ माह बाद भारतीय संविधान सभा ने 29 नवंबर 1948 को अस्पृश्यता के उन्मूलन की घोषणा कर दी। उस समय संविधान सभा में यह घोष गूंजा – महात्मा गांधी की जय।

गांधी और अंबेडकर के टकरावों और समन्वय के बाद भारतीय समाज में आए परिवर्तन पर आज भी बहस चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। महात्मा गांधी ने जाति के समूल विनाश की अंबेडकरी क्रांति को रोक लिया या उसे धीमा करके उसकी जरूरत को सवर्णों के दिल में भी उतार दिया? गांधी ने भारत की आजादी और हिंदू-मुस्लिम एकता का एजेंडा पूरी तरह छोड़ कर जाति उन्मूलन का एजेंडा क्यों नहीं अपनाया? गांधी के अनशन के बाद अंबेडकर और सवर्ण कांग्रेसी नेताओं के बीच हुए पूना समझौते से दो गुनी सीटें मिलने के बावजूद अछूत समाज का हित हुआ या अहित? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ समझौता क्या आगे चलेगा या फिर उसे तोड़ने का आंदोलन विकसित होगा? क्या पूना समझौता तोड़ने से ही जाति के उन्मूलन की नई राजनीति निकलेगी? या संघ परिवार के नेतृत्व में निकली हिंदुत्व की नई लहर अंबेडकरवाद को हजम कर जाएगी?

क्या धर्म परिवर्तन की आवश्यकता है?

भीमराव अंबेडकर

(**यह** विशेष दस्तावेज भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर छाप रहे हैं। 31 मई 1936 को बंबई (अब मुंबई) में महार (दलित) परिषद में अंबेडकर ने इस भाषण के द्वारा धर्म परिवर्तन का संकल्प लिया था, हालांकि इसके बहुत दिनों बाद ही उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। यह दस्तावेज उस भाषण का संक्षिप्त अंश है। मूल भाषण मराठी में है जिसका अरसे तक हिंदी अनुवाद नहीं हुआ था। विमल कीर्ति ने इसका हिंदी अनुवाद करके एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया।)

यह परिषद मैंने धर्मांतर की जो घोषणा की है उस पर चिंतन और सलाह करने के लिए प्रधान रूप से बुलाई है। धर्मांतर का प्रश्न मेरी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इतना ही नहीं, हम दलित, शोषित, पीड़ित जनता का अगला भविष्य भी मेरी दृष्टि से इस धर्मांतर की समस्या पर ही अवलंबित होने के कारण यह प्रश्न मुझे बहुत अधिक महत्वपूर्ण लगता है।

धर्मांतर यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। धर्मांतर न तो मौज का विषय है। यह तो तमाम दलित समाज की जिंदगी और मौत का प्रश्न है। जैसे नाविक को अपना जहाज इस बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर ले जाने के लिए जितनी मात्रा में पूर्व तैयारी करनी पड़ती है उतनी ही पूर्व तैयारी धर्मांतर के लिए भी करनी पड़ेगी। सिवाय इसके इस हिंदू धर्म का त्याग करके एक नए किंतु मानवता और मनुष्यता से परिपूर्ण जीवन को प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है।

केवल महारों का ही परिषद क्यों?

यदि मेरे धर्मांतर की घोषणा तमाम अछूतों के लिए हो तो फिर तमाम अछूतों की परिषद क्यों नहीं बुलाई गई, केवल महारों की ही परिषद बुलाई गई, इस प्रकार का आरोप मुझ पर कुछ लोगों द्वारा करने की संभावना है।

महारों की ही सभा क्यों बुलाई गई और तमाम अछूत वर्ग की सभा क्यों नहीं बुलाई गई, इसके लिए कई कारण हैं। इनमें पहला कारण है कि इस परिषद में एक तो न हमकों किसी प्रकार की मांगे मानना है, या न तो हिंदू लोगों से (समाज से) कुछ भी सामाजिक हक मांगना है। हमें अपने तमाम दलित भाइयों की जिंदगी और मनुष्यता के लिए क्या करना जरूरी है, अपने जीवनक्रम की रूपरेखा किस प्रकार तय करनी चाहिए, केवल इतना ही प्रश्न इस परिषद के सामने है। इस प्रश्न पर दलित (अछूत) जाति और जमातियों को स्वतंत्र रूप से सोच कर ही हल करना चाहिए।

धर्मांतर के प्रश्न को कृति में परिवर्तित करने की लिए जो प्रयास करना आवश्यक है वह प्रयास करने के पूर्व वास्तव में दलित जनमत की तैयारी कहां तक है इस बात का पूरा यकीन कर लेना एकदम आवश्यक है और मेरी यह मान्यता है कि दलित समाज की प्रत्येक जाति में अपनी-अपनी जाति की सभा आयोजित करके उसमें दलित जनता का जो विश्वास प्राप्त किया जाएगा और उसमें जो वास्तविक दृश्य दिखाई देगा उस प्रकार का स्वरूप आम अछूत दलित वर्ग को सभा में न तो दिखाई देगा और न तो हम पूरे वर्ग के प्रति कुछ निश्चत निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। चूंकि यदि हम 'तमाम अछूतों–दलितों की परिषद' इस तरह का नाम देकर भी सभा का आयोजन करते तब भी यह तमाम अछूतों की प्रतिनिधि-स्वरूप की ही सभा हो सकती थी जिससे तमाम दलित वर्ग के जनमत का पूरा यकीन आजमाना असंभव था। इसी लिए केवल महार (अछूत) वर्ग की ही सभा आयोजित की गई है।

धर्मांतर के व्यावहारिक (भौतिक) कारण

धर्मांतर के प्रश्न पर दो दृष्टियों से विचार होना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से विचार करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। उसी प्रकार तात्त्विक दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। किंतु किसी भी दृर्षट से धर्मांतर का विचार करने पर भी सबसे पहले अस्पृश्यता (अछूतपन) यह क्या बला है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका वास्तविक ज्ञान पर लेना बहुत ही आवश्यक है। सिवाय इसके मेरे धर्मांतर की घोषणा का अर्थ आप सब लोगों को समझना संभव नहीं है। अछूतपन यह क्या बला है और इसका सही स्वरूप क्या है इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए इसलिए तमाम दलित-अछूत वर्ग पर स्पृश्य हिंदुओं द्वारा हो रहे जुल्म और अत्याचारों की आपलोगों को याद दिला देना मैं आवश्यक समझता हूं।

सरकारी पाठशालाओं में अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दाखिल करने का हक जताने के कारण, सार्वजनिक और सरकारी कुंओं पर, तालाब और पनघट पर पानी भरने का हक जताने के कारण, बारात घोड़े पर ले जाने का हक जताने के कारण, जलूस और मोरचे निकलाने का, सभा और सम्मेलन कराने का हक जताने के कारण स्पृश्य हिंदुओं द्वारा अछूत दलित वर्ग को मारपीट करने की घटनाएं सुवह से शाम तक और हमेशा ही होती रहने के कारण यह दृश्य सबकी आंखों के सामने है। किंतु मारपीट करने के दूसरे कई कारण हैं जिनका उल्लेख करने पर भारत के बाहर के लोगों को भी उसका दुख होगा। अछूतों की कीमती और ऊंचे कपड़े पहनने के कारण उन्हें स्पृश्य हिंदुओं द्वारा मारमीट किए जाने के असंख्य उदाहरण दिए जा सकते हैं। अछूतों द्वारा पानी भरने के लिए तांबे और पीतल के बरतन इस्तेमाल करने के कारण स्पृश्य हिंदुओं द्वारा उन्हें मारपीट किए जाने की असंख्य घटनाएं दर्ज की जा सकती हैं। अछूतों द्वारा भूमि-खरीदी करने के कारण स्पृश्य हिंदुओं द्वारा उनके घर-मकान जलाए जाने की असंख्य घटनाएं बताई जा सकती हैं। अछूतों के जनेऊ पहनने के कारण स्पृश्य हिंदुओं द्वारा उन्हें मारने-पीटने की असंख्य घटनाएं हैं। मरे हुए जानवर नहीं उठाने के कारण और मरे हुए जानवर का मांस खाने से इंकार करने के कारण स्पृश्य हिंदुओं द्वारा उन्हें मारने-पीटने के अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं। अछूतों के अपने पांव में जूता और जुर्राब पहन कर गांव में से जाने के कारण, रास्ते में मिले स्पृश्य हिंदुओं को जोहार (झुक कर सलाम) नही करने के कारण, शौच के लिए तांबे का लोटा ले जाने के कारण उन पर हिंदू स्पृश्यों द्वारा अमनुष्यतापूर्ण जुल्म और सितम ढाए जाने की दरद भरी असंख्य कहानियां हैं। अछूतों के अपने समाज के पंचों की पंक्ति में चपाती परोसने के कारण स्पृश्य हिंदुओं द्वारा उनकी पंगत का ही मटियामेट करने की ताजा घटना है।

उपर्युक्त प्रकार के जुल्म और सितम स्पृश्य हिंदुओं द्वारा अस्पृश्य समाज पर सदियो से हो रहे हैं और अब भी इस प्रकार के जुल्म होने की अनगिनत घटनाएं हैं। इस अमनुष्यतापूर्ण ढंग से व्यवहार करने की कई घटनाएं आपके सुनने में ही नहीं देखने और स्वयं भोगने में भी आई होंगी। जहां स्पृश्य हिंदुओं द्वारा अछूतों को मारना-पीटना संभव नहीं होगा वहां उन्होंने बहिष्कार के हथियार का आपके विरुद्ध कैसे इस्तेमाल किया, इसका भी आपलोगों को अच्छा-खासा ज्ञान होगा ही। अछूतों को मजदूरी नहीं मिल पाए इसकी पूरी कोशिश स्पृश्य हिंदू करते हैं। जंगल में से आपके पशुओं को नहीं जाने दिया जाता है. गांव के अछूतों को नहीं जाने दिया जाता है। इस तरह चारों ओर से जकड़बंदी करके स्पृश्य हिंदू लोगों द्वारा आपके लोगों को परेशान करने की घटनाएं आप में से बहुत कुछ लोगों को मालूम होंगी ही। लेकिन यह सब अपने ही समाज पर क्यों होता है, इसके मूल में ऐसे कौन-से कारण हैं, ऐसा कौन-सा रहस्य छिपा हुआ है, यह बात मेरी दृष्टि में आम में से बहुत ही कम लोगों को समझ आती होगी। यह समझ लेना, इसको जानना मेरी दृष्टि में बहुत ही आवश्यक है।

यह वर्गकलह की समस्या है

उपर्युक्त वर्गकलह की जो घटनाएं दी गई हैं उनमें व्यक्ति की अच्छाई और बुराई से कुछ भी संबंध नहीं है। यह दोनों का आपसी कलह नहीं है। अस्पृश्यता का प्रश्न ही वर्गकलह का प्रश्न है। स्पृश्य और अस्पृश्य इन दो समाजों का यह

कलह है। एक समाज पर दूसरे समर्थ समाज द्वारा हो रहे अतिक्रमण का यह प्रश्न है। एक मनुष्य पर हो रहे अन्याय का यह प्रश्न नहीं है, बल्कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर जबरदस्ती किए जा रहे अतिक्रमण का प्रश्न है। यहां एक वर्ग जो सदियों से समर्थ है, शक्तिशाली है, उसके द्वारा निर्धन, निर्बल, दलित वर्ग पर जबरदस्ती किए जा रहे अतिक्रमण और जुल्म का, शोषण तथा उत्पीड़न का प्रश्न है।

यह वर्गकलह सामाजिक दरजे से संबंधिक वर्गकलह है। तथाकथित एक ऊंचे वर्ग द्वारा दूसरे दलित वर्ग से व्यवहार करते समय अपना बरताव कैसे रखना चाहिए इससे संबंधित यह वर्गकलह है। इस वर्गकलह की जो उपर्युक्त घटनाएं दी गई हैं उनसे जो एक समस्या स्पष्ट रूप से सिद्ध हो रही है वह यह है कि आप लोग परंपरागत ऊपरी वर्ग से व्यवहार रखते वक्त बराबरी के, समानता के रिश्ते से बरताव रखने का आग्रह करते हो, इसलिए यह वर्गकलह उत्पन्न होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो चपाती की मेजबानी देने के कारण, ऊंचे और कीमती कपड़े पहनने के कारण जनेऊ पहनने के कारण, तांबे और पीतल के बरतन में पानी भरने के कारण, घोड़े पर बारात ले जाने के कारण ऊपरी वर्ग के किसी भी आदमी की हानि नहीं होती है। अपना ही रुपया-पैसा हम खर्च करते हैं। तब भी ऊपरी वर्ग को हमारी इस व्यवहार के प्रति जलन. द्वेष और दर्द क्यों होना चाहिए? इस जलन और क्रोध का एक ही मकसद है, और वह यह है कि इस तरह का समता का व्यवहार उनकी मानहानि का मकसद है। आप नीचले वर्ग के हैं, अपवित्र है, नीचले दरजे में ही आप रहें, तब तो वे आप लोगों को सुख से और शांति से रहने देंगे, अन्यथा नहीं। आपने अपने परंपरागत स्तर से उठने की कोशिश की तो आपके विरुद्ध कलह की आग भड़कनी लगती है। स्पृश्य हिंदुओं के दिल में आपके प्रति आग के शोले भड़क उठते हैं। यह बात अब निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है। उपर्युक्त घटनाओं से और भी एक बात सिद्ध होती है, वह यह है कि अस्पृश्यता नैमित्तिक नहीं होकर नित्य की चीज है और सदियों से चलती आ रही है। यही बात स्पष्ट रूप में कहना हो तो यह स्पृश्य और अस्पृश्य हम दो वर्गों का नित्य कलह है और यह हमेशा-हमेशा के लिए ही ऐसा रहने वाला है, चूंकि जिस धर्म के कारण आप लोगों को इतना नीचला दरजा दिया गया है वह धर्म ऊपरी वर्ग के कथनानुसार सनातन है, उसमें किसी भी प्रकार समयानुकूल परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप लोग आज जैसे नीचले दरजे के हैं उसी प्रकार आपको हमेशा के लिए ही नीचले दरजे का रहना चाहिए। इसका ही मतलब यह है कि स्पृश्य और अस्पृश्य इनमें यह कलह, यह वर्गसंघर्ष कायमी रूप में रहने वाला है। इस वर्गकलह, वर्गसंघर्ष आप लोगों का कैसे बचाव हो यही मुख्य प्रश्न है और इस प्रश्न का विचार बिना किए आप लोगों को कोई अन्य रास्ता नहीं है, यह मेरा स्पष्ट मत है। आपमें से जिनसे स्पृश्य हिंदू-समाज जिस तरह व्यवहार करेगा उस तरह रहना हो, उनके सेवा धर्म की जूतियों के तले जीना हो, स्पृश्य हिंदू-समाज की दया की भीख पर जिनको पलना हो, उन लोगों को इस प्रश्न पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु जिन्हें स्वाभिमान की जिंदगी प्यारी हो, जिनको मानवता और मनुष्यता से प्रेम हो, जिन्हें समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय का जीवन आवश्यक लगता हो उन्हें इस प्रश्न पर विचार किए बिना कोई अन्य रास्ता नहीं है। किस तरह इस वर्गकलह से अपना बचाव किया जा सकता है, इसका विचार करना अत्यावश्यक है। इस वर्गकलह से अपना बचाव कैसे होगा – इस प्रश्न का निर्णय करना मैं समझता हूं मेरे लिए कोई असंभव बात नहीं है। यहां इकट्ठा हुए आप सभी लोगों को एक ही बात मान्य करनी पड़ेगी, और वह यह कि किसी भी कलह में, संघर्ष में, जिनके हाथ में सामर्थ्य होती है उन्हीं के हाथ में जय होती है। जिनमें सामर्थ्य नहीं है उन्हें अपनी विजय की अपेक्षा रखना फिजूल की बकवास है। यह बात आप सब को अनुभव से सिद्ध हो चुकी है। इसके समर्थन में और अन्य आधार खोजने की बात ही फिजूल है। इसलिए तमाम दलित वर्ग को अब अपने हाथो में सामर्थ्य और शक्ति को इकट्ठा करना बहुत ही जरूरी है। अब उन्हें अपने शक्ति का, अपने संगठन-सामर्थ्य का प्रदर्शन करने की नितांत आवश्यकता है।

धर्मांतर के तात्विक कारण

यहां तक हमने ऐहित (भौतिक) कल्याण के लिए धर्मांतर

की आवश्यकता क्या है इसका दिग्दर्शन किया है। इसी प्रकार अब तात्त्विक कारणों के लिए धर्मांतर की आवश्यकता क्यों है, इससे संबंधित मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले धर्म किस लिए होता है, उसकी आवश्यकता क्या है, यह समझ लेना जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूं। धर्म की कई प्रकार की व्याख्याएं कई लोगों ने की है। यह आपको मालूम होगा। किंतु उन सबमें अर्थपूर्ण और सभी को पढ़ने योग्य ऐसी एक ही व्याख्या है – 'जिसमें सारी प्रजा का धारण होता हो, वही धर्म है'। यह सही अर्थ में धर्म की व्याख्या है। धर्म की यह परिभाषा मैंने नहीं की है। यह परिभाषा सनातनी हिंदुओं के अग्रगण्य दकियानूसी नेता लोकमान्य तिलक महाशय ने दी है। तब तो धर्म की परिभाषा के संबंध में गलतफहमी पैदा करने का आरोप कोई भी मुझ पर नहीं कर सकता है। यह धर्म की परिभाषा जबकि मैंने नहीं दी है, तब भी उसे मैंने केवल विवाद के लिए मान्य किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे धर्म की यह परिभाषा मंजूर है। 'समाज के धारण के लिए जो बंधन डाले गए हैं वह धर्म है' – यही मेरी भी धर्म-संबंधी कल्पना है। यह परिभाषा वास्तविक दृष्टी से या तार्किक दृष्टि से योग्य होने पर भी समाज के धारण के लिए समाज के बंधन, नियम किस प्रकार के होने चाहिए इस प्रश्न का उपर्युक्त लोकमान्य तिलक की परिभाषा से कुछ भी अर्थबोध नहीं हो रहा है और न तो हमारी शंका का वास्तविक समाधान लोकमान्य तिलक की धर्म-संबंधी परिभाषा दे सकती है, नहीं किसी प्रकार का विश्लेषण प्रस्तुत कर सकती है। समाज के योग्य धारण के लिए समाज के बंधन इस प्रकार के होने चाहिए यह प्रश्न शेष रह ही जाता है और यह प्रश्न धर्म की परिभाषा से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि 'धर्म कौना सा' यह उनकी परिभाषा पर आधारित नहीं है, बल्कि वह बंधनों के हेतु और स्वरूप पर आधारित है। जिन बंधनों से समाज की तमाम प्रजा का धारण हो सकता है, ऐसे बंधन, नियम कैसे होने चाहिए, मतलब यह कि वास्तविक धर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस प्रश्न पर चिंतन करते समय समाज और व्यक्ति इनमें तात्त्विक दृष्टि से संबंध क्या है और किस प्रकार का होना चाहिए, यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से ही उत्पन्न होता है।

उपर्युक्त प्रश्नो के संबंध में आधुनिक समाजशास्त्रिों ने तीन तरह के मत प्रतिपादित किए हैं। कुछ समाजशास्त्रियों की दृष्टि से व्यक्ति मात्र को सुख प्राप्ति हो, यह समाज-संगठन का अंतिम हेतु है। कुछ समाजशास्त्रियों की दृष्टि से व्यक्ति मात्र को उसके अंगभूत गुणों का, शक्ति का विकास करने की पूरी सुविधा प्राप्त हो और उन गुणों को पूर्णावस्था तक ले जाने की मदद हो यही समाज-संगटन का अंतिम हेतु होना चाहिए और कुछ समाजशास्त्रियों की दृष्टि से समाज-संगटन का हेतु व्यक्ति की उन्नति या व्यक्ति का सुख न होकरआदर्शभूत समाज का निर्माण करना ही है। हिंदू धर्म की संकल्पना इन तीनों संकल्पनाओं से एकदम भिन्न है। हिंदू धर्म में व्यक्ति के लिए कुछ स्थान नहीं है। हिंदू धर्म की रचना वर्ग की कल्पना पर की गई है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए इसकी शिक्षा हिंदू धर्म में नहीं है। एक वर्ग को दूसरे वर्ग के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए इसके बंधन और नियम हिंदू धर्म में हैं, जिसमें व्यक्ति को कोई स्थान नहीं है। ऐसा धर्म मेरी दृष्टि से दो कौड़ी का है। ऐसा धर्म मुझे स्वयं मान्य नहीं है।

हिंदू धर्म में सुधार हमारा काम नहीं है

कुछ लोग अछूतों-दलितों की ही सभा में आकर बड़े रोषपूर्ण आवेग में स्पृश्यो को गालियां देंगे। कुछ लोग दलितों की ही सभा में आकर बड़ी शेखी के साथ कहेंगे, 'मित्रो, आप स्वच्छ रहना सीखो, शिक्षा लो, पढ़ना-लिखना सीखो, अपने पांव पर खड़े रहो' वगैरह। वास्तव में यदि इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वह है स्पृश्य हिंदू समाज और उनका धर्म। वही इस गुलामी का जन्मदाता है। वही इसके लिए सबसे बड़ा अपराधी है। स्पृश्य वर्ग द्वारा ही इस सदियों की ग़ुलामी को उसी प्राचीन और सनातनी रूप में जिंदा रखा गया। किंतु इस स्पृश्य वर्ग को इस प्रश्न पर संगठित कर उनकी सभा में उनको अकल पढ़ाने का काम ये महाशय क्यों नहीं करते? ये लोग उन्हें इस अपराध के लिए अपराधी क्यों नहीं मानते? अपराधी वे स्पृश्य हिंदू हैं और सजा हम भोग रहे हैं? अकल तो उन्हें देनी चाहिए जो बेअकल हैं। सजा तो उन्हें भोगना चाहिए जो अपराधी हैं। किंतु यह काम ये तथाकथित समाज-

सुधारक करने वाले नहीं हैं।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि 'हिंदू धर्म में ही रह कर आप अपना आंदोलन जारी रखो, आप और हम मिल कर यह आंदोलन सफल बनाएंगे।' इस तरह की बात करने वाले सुधारकों को हम दो घटनाओं की याद दिलाना चाहते हैं। पिछले महायुद्ध में एक अमरीकी और एक अंगरेज आदमी में युद्ध के संबंध में जो संवाद हुआ है, उसको मैंने पढ़ा है। यह संवाद बहुत ही उद्बोधक है। इसलिए यहां उसकी चरचा करना मुनासिब है, ऐसा मैं समझता हूं। उनके संवाद का विषय था कि अब युद्ध कहां तक जारी रखा जाए। उस अमरीकी आदमी को प्रश्न का उत्तर देते हुए इस अंगरेज आदमी ने ऐंठ में कहा – 'अंतिम फ्रेंच आदमी के मरते दम तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे।' हिंदू-समाज के सुधारक जब यह कहते हैं कि अछूतपन के विरुद्ध यह लड़ाई हम अंतिम समय तक लड़ेंगे, तब मेरे जैसे आदमी उनके इस कथन का यही अर्थ करता है कि अंतिम अछूत-दलित आदमी के मरते दम तक यह लड़ाई लड़ी जाएगी। दूसरों की गरदन को खतरे में डाल कर युद्ध-मैदान की ओर बढ़ने वाले योद्धा से जीत की अपेक्षा रखना कहां तक उचित है, यह आप सब लोग जानते हैं। हमारी लड़ाई में यदि हम ही मरने वाले हैं तो फिर गलत जगह पर लड़ाई करने का मतलब क्या है? हिंदू-समाज को सुधारना यह हमारा लक्ष्य नहीं है, यह हमारा कार्य नहीं है। अपनी आजादी के लिए लड़ना और अपनी आजादी को प्राप्त करना यही हमारा लक्ष्य है। इससे आगे हमें कुछ भी करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है हमारी आजादी, दलित और अछूत समाज की मुक्ति। धर्मांतर के द्वारा यदि हम अपनी आजादी को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर हमें हिंदू-समाज की सुधारने की फालतू जिम्मेदारी अपने सिर पर क्यों लेनी चाहिए और इस लड़ाई में हमें अपनी सामर्थ्य का और शक्ति का क्यों गलत काम के लिए उपयोग करना चाहिए? इसमें हमारा लड़ना गलत होगा, हमारी मूर्खता होगी। हिंदू-समाज का सुधार करना – यह अछूतपन-निर्मूलन-आंदोलन का उद्देश्य नहीं है और न तो किसी को इस तरह समझना चाहिए। अछूतपन-निर्मूलन-आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है अछूतों को सामाजिक आजादी प्राप्त करा देना। यही इस आंदोलन का लक्ष्य है। यह आजाजी सिवाय धर्मांतर से प्राप्त होने वाली नहीं है। इतना ही सही है। अछूतों को समता की आवश्यकता है – यह मुझे मंजूर है और समता की प्राप्ति यही हमारे आंदोलन का वास्तविक उद्देश्य है, किंतु इस समता को प्राप्त करने के लिए अछूतों को हिंदू धर्म में ही रहना चाहिए, वरना समता प्राप्त होने वाली नहीं है, यह कोई भी नहीं कह सकता है। समता प्राप्त करने के दो रास्ते मुझे दिखाई दे रहे है – हिंदू धर्म में ही रह कर समता प्राप्त करनी चाहिए या थर्मांतर द्वारा समता प्राप्त करनी चाहिए। हिंदू धर्म में रह कर समता प्राप्त करने का मतलब है केवल छूआछूत को समाप्त करना। किंतु इससे काम चलने वाला नहीं है। रोटी-व्यवहार और बेटी-व्यवहार होना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तब तो वास्तव में समता प्राप्त हो सकती है। इसका ही अर्थ है कि चातुर्वर्ण्य का मूलोच्छेद होना चाहिए नंबर एक, और दूसरी बात है ब्राह्मण धर्म का विध्वंस ही होना चाहिए। क्या बात संभव है? और यह बात संभव न हो तो हिंदू धर्म में रह कर समता के व्यवहार की अपेक्षा करना समझदारी नहीं होगी और न तो इस प्रयास में किसी का कुछ सफलता ही मिलने वाली है। इन सबमें यदि सबसे अच्छा और सबसे आसान कोई रास्ता है तो वह है धर्मांतर। हिंदू-समाज मुस्लिम-समाज को समता की दृष्टि से देखता है। हिंदू-समाज ख्रिस्ती-समाज को समता की दृष्टि से देखता है। मुस्लिम, ख्रिस्ती और हिंदू समाज में समता का व्यवहार है। इसका मतलब ही यह है कि धर्मांतर से बड़ी आसानी से सामाजिक समता स्थापित की जा सकती है और यह बात सही है तो फिर धर्मांतर जैसे सीधे और सरल रास्ते का स्वीकार आप लोगों को क्यों नहीं करना चाहिए? यह मेरा प्रश्न है। मेरी दृष्टि से धर्मांतर का रास्ता जैसे अछूतों को, दलितों को उसी प्रकार स्पृश्य हिंदुओं को भी हितकारी ही होगा।

आप लोग जब तक हिंदू धर्म में रहेंगे तब तक हिंदुओं से छूआछूत के लिए, पानी के लिए, रोटी के लिए, बेटी के लिए झगड़ना ही पड़ेगा और जब तक आप में और हिंदुओं में यह संघर्ष जारी रहेगा तब तक आपमें और उनमें झंझट बढ़ता ही रहेगा और हमेशा के लिए एक-दूसरे के दुश्मन बनेंगे। और यदि धर्मांतर करते हैं तो झगड़े की मूल कारणों की ही

समाप्ति हो जाती है। आप लोगों के उनके मंदिरों पर हक जताने का न तो कोई अधिकार रहेगा और न उनके मंदिरों में जाने की कुछ गरज होगी और न सहभोज करो, आपस में शादी-व्याह करो, इस तरह के सामाजिक हकों के लिए आंदोलन करने की, संघर्ष करने की आवश्यकता होगी। इस तरह यह संघर्ष यदि समाप्त हुआ तो दोनों वर्गों में स्नेह-संबंधों का विकास होगा। आज मुस्लिम समाज और ख्रिस्तीसमाज की तथा हिंदू समाज की आपसी स्थिति क्या है, यह देखो। आप लोगों की तरह ही हिंदू समाज मुसलमानों को और ख्रिस्ती समाज को अपने मंदिर में आने से रोकता है। आप लोगों की तरह ही वे मुसलमानों से रोटी व्यवहार नहीं रखते हैं, ख्रिश्चनों से रोटी व्यवहार नहीं रखते हैं। दोनों से बेटी-व्यवहार नहीं करते हैं। यह सब होने पर भी उनमें और हिंदुओं में आज जो सलूक है वह आप में और हिंदुओं में नहीं है। यह जो अंतर है इसका मुख्य कारण यही है कि आप लोगों को हिंदू धर्म में रहने के कारण हिंदू समाज से सामाजिक और धार्मिक हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। किंतु आज के मुस्लिम और ख्रिस्ती लोगों को हिंदू धर्मी की चौखट से बाहर जाने के कारण हिंदू समाज से सामाजिक और धार्मिक हक के लिए लड़ने की, इसके लिए विद्रोह और आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है और न तो उन्हें विद्रोही बनाना पड़ रहा है।

दूसरी बात यह है कि हिंदू समाज में उन्हें किसी भी प्रकार का हक नहीं होने पर भीस, मतलब, उससे रोटी और बेटी का व्यवहार नहीं होने पर भी, हिंदू समाज उन्हें असमान दृष्टि से नहीं देखता है और न तो हिंदुओं के उन्हें असमान दृष्टि से देखने से उनका कुछ बाल बांका होता है।

धर्मांतर से समता स्थापित हो सकती है। धर्मांतर से यदि हिंदू और अस्पृश्य इसमें सलूक उत्पन्न हो सकता है फिर यह समता का सीधा और सरल, हितकारी रास्ता अस्पृश्य दलित समाज को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरह देखने पर यह धर्मांतर का रास्ता वास्तविक आजादी की ओर से जाने वाला है और इसी रास्ते से सही अर्थ में वास्तविक समता प्राप्त होने वाली है। धर्मांतर का रास्ता पलायनवाद का रास्ता नहीं है। यह एक समझदारी का रास्ता है, मनुष्यता का रास्ता है।

पहले आर्थिक उन्नति या पहले धर्मांतर

यहां पहले आर्थिक उन्नति या पहले धर्मांतर इस प्रश्न का भी विचार करना मेरी दृष्टि में अत्यावश्यक है। आर्थिक उन्नति पहले होनी चाहिए, ऐसा कहने वाले लोगों का मत मुझे ग्राह्य नहीं हो सकता है। पहले धर्मांतर फिर आर्थिक उन्नति या पहले आर्थिक उन्नति फिर धर्मांतर यह दलील पहले राजकीय उन्नति या पहले सामाजिक उन्नति इस दलील की तरह नीरस है। समाज की उन्नति विकास के लिए कई साधनों की आवश्यकता होती है और वे सभी साधन अपनी-अपनी दृष्टि से आवश्यक होते हैं। उनमें फलां एक चीज का उपयोग पहले करना चाहिए और दूसरी चीज का बाद में करना चाहिए इस तरह का अनुक्रम रखना कभी संभव नहीं है।

किंतु इस प्रकार का अनुक्रम रखने का आग्रह हो तो पहले धर्मांतर या पहले आर्थिक उन्नति इस प्रश्न का उत्तर यदि मुझे देना ही है तो मैं पहले धर्मांतर ही कहूंगा। जब तक अछूतपन का कलंक आप लोगों पर लगा हुआ है तब तक आप लोगों की आर्थिक उन्नति और विकास कैसे होगा, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दुकानदारी करने के उद्देश्य से आप में से किसी ने यदि किसी भी प्रकार की एक दूकान डालने की कोशिश की और ग्राहकों को यदि यह मालूम हुआ कि दुकानदार अछूत है तो आपकी दूकान से कोई भी माल खरीदने वाला नहीं है। नौकरी मिलने के उद्देश्य से यदि आप में से किसी ने नौकरी के लिए अर्जी की और अर्जी करने वाला अछूत है यह मालूम हुआ तो आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है।

किसी को अपना खेत या जमीन बेचना हो और आप में से किसी ने उसको खरीदने का प्रयत्न किया, बेचने वाले को यदि यह मालूम हो गया कि खरीददार अछूत है तो वह आपको जमीन बेचने वाला नहीं है। आर्थिक उन्नति का कोई रास्ता आपने अपनाया तब भी अछूतपन के कलंक के कारण किसी भी मार्ग में आपको यश प्राप्ति होने वाली नहीं है।

अछूतपन आपकी उन्नति और विकास के मार्ग में स्थाई रूप में रोड़ा बना हुआ है। उस रोड़े को बिना हटाए आपका रास्ता सुगम होने वाला नहीं है और बिना धर्मांतर किए यह रोड़ा हटने वाला, नष्ट होने वाला नहीं है।

आप में से कुछ नौजवान लोग आज पढ़ाई-लिखाई के पीछे लगे हुए हैं और इस पढ़ाई के लिए उन्हें कहीं से भी पैसा मिले, पैसा पाने के कोशिश कर रहे हैं। इस पैसे के लालच के कारण कई लोगों के मन में है वही, अछूत रह कर ही, अपनी उन्नति और विकास की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। किंतु ऐसे युवकों से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि पढ़ने-लिखने के पश्चात यदि आपको अपनी पढ़ाई के अनुरूप नौकरी मिलने का रास्ता खुला नहीं है तो आप लोग पढ़-लिख कर क्या करने वाले हैं? इस समाज के पढ़े-लिखे बहुत लोग बेकार हैं। इसका कारण क्या है? मेरी दृष्टि से इस बेकारी का कारण कई दृष्टियों से अछूतपन ही है। अछूतपन के कारण ही आपके गुणों की कदर नहीं हो सकती है। अछूतपन के कारण ही आपके कुछ लोगों को फौज से निकाल दिया गया था। अछूतपन के कारण ही आपके लोगों को पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता है। अछूतपन के कारण ही आपके कुछ लोगों को चपरासी तक की नौकरी नहीं मिल सकता है। अछूतपन एक तरह की बददुआ है जिससे आप पीड़ित हैं और आपके गुणों की तबाही हो रही है। ऐसी बेहया, बेहूदा स्थिति में आप कौन-सी शिक्षा, कौन-सा स्वाभिमान हासिल कर सकते हैं? और ऐसी शिक्षा का क्या उपयोग है? आपके गुणों की कदर होनी चाहिए। आपकी लिखाई-पढ़ाई की इज्जत होनी चाहिए। आपकी आर्थिक उन्नति और विकास के रास्ते खुले होने चाहिए। यही यदि आपकी इच्छा है तो आपको पहले अछूतपन को नष्ट करना होगा, अछूतपन को देने वाले धर्म तथा समाज को दफन करना होगा।

धर्म मनुष्य के लिए

मैंने अपना निश्चय कर लिया है। मैं धर्मांतर करूंगा यह एकदम निश्चित है। मेरा अपना धर्मांतर किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत और तत्कालिक लाभ के लिए नहीं है। आज मेरे लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अछूत रह कर भी प्राप्त नहीं कर सकता हूं।

मेरी धर्मांतर की संकल्पना में, उसके मूल में तात्त्विक बुद्धिनिष्ठता, विवेक चीरकाल की सुरक्षा, आत्मसम्मान अस्तित्व तथा अस्मिता की भावना है, इसके सिवाय और कोई अन्य कारण नहीं है। हिंदू धर्म मेरे स्वभिमान को पटने योग्य नहीं है। आप लोगों को तात्त्विक तथा भौतिक व्यावहारिक लाभ के लिए धर्मांतर करना आवश्यक है। कुछ लोग तात्कालिक, भौतिक तथा व्यावहारिक लाभ के धर्मांतर करने की कल्पना को हंसते है और उसकी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को मुर्ख कहने में मुझे किसी भी प्रकार का संकोच नहीं हो रहा है।

मरने पर आत्मा का क्या होगा, यह बताने वाला धर्म अमीरों, सेठ-साहूकारों, जमींदारों, पंडा-पुरोहितों और ब्राह्मणशाही के उपयोग का हो सकता है। फुरसत के समय ऐसे धर्म पर सोचना लतीफों से अपना मनोरंजन करने वाली बात है। जिन्होंने जिंदगी में बहुत ही सुख और ऐयासी भोगी है उन्हें अपने मरने के बाद सुख कैसे मिलेगा, इसका विचार जिस धर्म में खास तौर पर किया गया है, इसलिए उन्हें ऐसे धर्म की आवश्यकता है। और जिनके अमन-चमन और शान-शौकत के लिए ही उस धर्म की पैदाइश है ऐसे धर्म में उन्हें रहना जरूरी है। किंतु जिनकी अमुक एक धर्म में रहने के कारण तबाही. बरबादी हुई है, जिनकी जिंदगी की मिट्टी पलीद हुई है, जिनका जीवन मटियामेट हुआ है, जिनकी बहू-बेटियों की जिंदगी को भरे गांव में बेचा जाता है, उनको गांव में नंगा करके घुमाया जाता है, जिनकी मां और बहनों, बहू-बेटियों पर दिन-दहाड़े बलात्कार होते हैं, जिनके घर फूंक दिए जाते हैं, जिनको पीने के पानी के लिए तड़प-तड़प कर मरना पड़ रहा है, जो अनाज के एक-एक दाने के लिए मुहताज हैं, जो कपड़ों और लत्तों से बेजार हैं, जिनकी इंसानियत और मनुष्यता को छीन लिया गया है, उन लोगों को धर्म और धर्मांतर का तात्कालिक, व्यावहारिक और भौतिक दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिए तो क्या आंख मूंद कर आकाश की ओर देखते रहना चाहिए?

इन हरामखोर अमीरों, सेठ-साहूकारों, जमींदारों, पंडा-पुरोहितों और ब्राह्मणों के अलमस्त धर्म से हमारा कुछ भी

लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे अललटप्पुओं के वेदांत का दीन-दलितों, पददलितों को कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है।

मैं आप लोगों को यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहूंगा कि मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धर्म मनुष्य के लिए है। संसार में मनुष्य से बढ़ कर और कोई चीज नहीं है। धर्म एक साधन मात्र है, जिसे बदल दिया जा सकता है, फेंक दिया जा सकता है।

यदि आपको इंसानियत से मोहब्बत हो तो धर्मांतर करो। हिंदू धर्म का त्याग करो। तमाम दलित-अछूतों की, सदियों से गुलाम रखे गए वर्ग की मुक्ति के लिए एकता, संगठन करना हो तो धर्मांतर करो। समता प्राप्त करनी हो तो धर्मांतर करो। आजादी प्राप्त करनी हो तो धर्मांतर करो। अपने जीवन की सफलता चाहते हो तो धर्मांतर करो। मानवी सुख चाहते हो तो धर्मांतर करो। हिंदू धर्म को त्यागने में ही तमाम दलित, पददलित, अछूत, शोषित, पीड़ित वर्ग का वास्तविक हित है, यह मेरा स्पष्ट मत बन चुका है।

जो भी मुझे कहना आवश्यक था, वह कह दिया है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित एक घटना मुझे याद आती है। घटना बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पहले की है। बुद्ध के अनुगामी आनंद जब उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप अपने महापरिनिर्वाण के पहले संघ को कुछ मार्ग दर्शन करें तब बुद्ध आनंद से कहते हैं, 'आनंद! संघ को मुझसे क्या चाहिए? जो कुछ मुझे कहना था वह मैंने कह दिया है। जो कुछ मैंने जाना था वह संघ के सामने रख दिया है। बुद्ध रहस्यवादी नहीं है – आनंद! अपने दीप आप बनो। स्वयं प्रकाशित बनो। खुद पर भरोसा रखो। स्वयं की शरण में जाओ। सच्चाई पर अटल रहो।' मैं बुद्ध के इन वचनों की याद दिला कर अंत में यही कहना चाहता हूं कि 'आप अपना आधार आप बनो। अपनी बुद्धि की शरण में जाओ। अन्य किसी के बहकावे में मत जाओ। सत्य का आधार लो। सत्य की ही शरण जाओ।' बुद्ध का यह मार्ग-दर्शन आप सब को प्रेरक सिद्ध होगा और यदि आपने बुद्ध के इन वचनों को ध्यान में रखा तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप लोग जो भी निश्चय करेंगे, वह गलत नहीं होगा।

... जाति व्यवस्था एकदम ही अलग तरह की चीज है। एक दरिद्र ब्राह्मण भी 'छोटी' जाति के लोगों के प्रति ठीक वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कि अमीर ब्राह्मण। बल्कि अमीर ब्राह्मण के पास तो अपनी श्रेष्ठता बताने का दूसरा तरीका भी है इसलिए गरीब ब्राह्मण उससे भी ज्यादा घटिया किस्म का व्यवहार करेगा, खुद को बड़ा बनाने का अधिक प्रयास करेगा। इससे ही हम जाति व्यवस्था में अमीरी और गरीबी वाले ध्रुव तलाशने के रास्ते में आने वाली परेशानियों का अंदाजा लगा सकते हैं। गरीब ब्राह्मण को (गरीब श्वेत की तरह ही) अपनी जातीय श्रेष्ठता का अहसास अमीर ब्राह्मण से भी ज्यादा होता और वह ऐसे किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा जो उससे यह श्रेष्ठताबोध छीन ले। इसलिए जाति नाश की लड़ाई के लिए की जानेवाली किसी भी कोशिश में सबसे पहले द्विज जातियां एकजुट हो जाती हैं और उस वक्त उनमें अमीर-गरीब का भेद भी नहीं रहता। तब पुरानी कबीलाई निष्ठाएं जाग जाती हैं और जातियों के बीच फासले और गहरे हो जाते हैं। देश के अनेक हिस्सों में हाल में ठीक यही चीज हुई। पिछड़ी जातियों या हरिजनों को एकजुट करके जाति की लड़ाई लड़ने की हर कोशिश का उन जातियों ने एकजूट होकर जवाब दिया। जिनके खिलाफ यह लड़ाई लड़ी जानी थी और अक्सर इस विवाद ने हिंसक रूप भी लिया।

... धर्म बदलने पर भी जाति वही बनी रहती है। इस्लाम और ईसाई जैसे मत भी, जिनमें समानता ही बुनियादी चीज है, जाति को दबा नहीं पाते। शेख और सय्यद जैसा उच्च जाति का मुसलमान मोमिनों के यहां शादी करने की हामी नहीं भरेगा। केरल के ईसाइयों में भी ऐसा ही जातिगत बंटवारा है। वहां सीरियन ईसाई खुद को नायरों के बराबर और कई बार नंबूदरी ब्राह्मणों के बराबर मानते हैं। वे आम तौर पर लैटिन ईसाई से शादी नहीं करते। ऐसी शादी नायरों द्वारा हरिजनों से शादी करना मानी जाएगी।

सच्चिदानंद सिन्हा

('जाति व्यवस्था' से साभार)

रपट

समाजवादी जन परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक

नीरज सिंह

समाजवादी जन परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक 26 और 27 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के तहत केसला में राजनारायण स्मृति भवन में हुई। बैठक में ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के पहले सत्र में सजप की राज्यों की इकाइयों की कार्यकारिणी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी की रिपोर्ट के मुताबिक वन कानून में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन के विरोध में सजप की राज्य ईकाई के अगुआई में केसला में रैली की गई जसमें ढाई हजार महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश ईकाई ने बिरसा मुंडा जयंती मनाई और इसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद हुए। 24 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इसमें दूर-दूर के लोग अपने वाहन से यात्रा में शामिल हुए। सजप की साथी पावर्ती बाई जनपद सदस्य के रूप में चुनी गईं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्य ईकाई के महामंत्री राजेंद्र गढ़वाल और राष्ट्रीय सचिव फागराम ने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया।

सजप की उत्तर प्रदेश राज्य ईकाई के अध्यक्ष विक्रम मौर्य ने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश राज्य ईकाई की ओर से फरवरी के पहले सप्ताह में संदेश यात्रा निकाली गई थी। आजमगढ़ में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में चल रहे आंदोलन में शुरू से ही सजप की अहम भूमिका है।

ओड़िशा के बारे में लिंगराज आजाद ने बताया कि हेतुवादी संगठन की ओर से अंधविश्वास के विरोध में चंद्रग्रहण के अवसर पर सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया था, जिसमें सजप भी शामिल हुआ। शांतिपूर्ण से चल रहे इस सामूहिक भोजन के कार्यक्रम में बाधा डालने के मकसद से आरएसएस ने पत्थर फेंके। इसके बावजूद कार्यक्रम बखूबी कामयाब हुआ। बिहार में सजप की ओर से सावित्री बाई फूले जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए।

महाराष्ट्र की रपट देते हुए साथी शिवाजी गायकवाड ने जिक्र किया कि महाराष्ट्र में भी वनाधिकार को लेकर रैली निकाली गई जिसमें दूसरे कई संगठनों के साथ सजप शामिल हुआ। रैली में तकरीबन तीन हजार स्त्री-पुरुष शामिल हुए। हरेक साल की तरह इस साल भी सावित्री बाई फूले जयंती मनाई गई और महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष तेज करने पर जोर दिया गया।

आंगनबाड़ी महिलाओं के अधिकार के लिए रैली निकाली गई जिसमें सजप भी शामिल हुआ। महाराष्ट्र आंगनबाड़ी संगठन की अध्यक्ष श्रीमती निशा शिवूरकर हैं। उनके नेतृत्व में राज्य भर में आंगनबाड़ी दीदियों का सफल आंदोलन चल रहा है। राज्य में सजप के कार्यकर्ताओं की ओर से एक सहकारी संस्था का संचालन किया जा रहा है जिसका पूंजीगत आकार ग्यारह करोड़ रुपये का है।

अफलातून ने चुनाव आयोग में संगठन के मुख्यालय के पता को बदलने के लंबित मामले में बताया कि शीघ्र ही पता बदल जाएगा। पता बदलते ही पार्टी के पैनकार्ड के बनना संभव हो सकेगा और इसके आधार पर पार्टी का आधिकारिक

बैंक एकाउंट खुलवाना संभव हो पाएगा।

बैठक के दूसरे सत्र में राजनैतिक व आर्थिक प्रस्ताव पेश किए गए और उन पर विस्तार से चर्चा हुई। उसके बाद दोनों प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

दूसरे दिन संगठन पर विस्तार से चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम व बैतूल जिले में अर्धकालिक सात कार्यकर्ता और पूर्णकालिक एक कार्यकर्ता के चयन करने की योजना बनी। इसी तरह ओडिशा में अर्धकालिक तीन कार्यकर्ता व पूर्णकालिक एक कार्यकर्ता के चयन की योजना बनी। इन कार्यकर्ताओं को यात्रा भत्ता व दूसरी सुविधाए मुहैया कराने के मकसद से कुछ राशि प्रदान करने की योजना बनी।

पार्टी के लिए निधि जुटाने के बारे में चर्चा हुई और योजना बनी। बैठक में मौजूद कुछ साथियों नें हर महीने कुछ निश्चित राशि देने का वायदा दिया। इस योजना का समर्थन करने वाले बैठक में मौजूद नहीं रहे कई साथियों ने यह सूचना दी कि वे हर महीने कितनी-कितनी राशि मुहैया कराएंगे। मासिक और वार्षिक चंदा के बारे में भी चर्चा हुई।

बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के विभिन्न कार्यक्रमों में 'किसान मजदूर परिषद' बैनर तले सजप द्वारा हिस्सा लेने के बारे में चर्चा हुई और कई फैसले किए गए। डा. राममनोहर लोहिया की जयंती और भगत सिंह के सहादत दिवस के मौके पर एक दिवसीय कार्यक्रम करने व राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का निर्णय किया गया।

बैठक में यह तय किया गया कि 2024 के आम चुनाव में सजप अपने प्रभाव क्षेत्र में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जिन सीटों पर सजप चुनाव नहीं लड़ेगा, उन सीटों पर भाजपा को हराने की अपील करेगा। स्मिता को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में अनुमोदित किया गया। 21 मई को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने का निर्णय हुआ।

केसला में सजप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कम उपस्थिति पर खेद व्यक्त किया गया। यह जिक्र किया गया कि पटना या अन्य शहरों में जब बैठक या कार्यक्रम होते हैं तो उपस्थिति संतोषजनक होती है। लेकिन जब दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक या कार्यक्रम होते हैं तो उपस्थिति घट जाती है। सजप जैसे संगठन में ऐसा नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष निशा शिवुरकर, महामंत्री लिंगराज आजाद, संगठन मंत्री अफलातून, कोषाध्यक्ष जगनारायण महतो, सचिव फागराम व नीरज सिंह, किसान मजदूर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विक्रम मौर्य, रामकेवल चौहान, महाराष्ट्र के शिवाजी गायकवाड, वाराणसी के चंचल मुखर्जी समेत यशवंत सिंह, मोतीराम तेकाम, शिवलाल, गुलियाबाई, स्मिता, इकबाल अभिमन्यु, विस्तोरी, सुशीला बाई तेकाम, गोपाल राठी व लक्ष्मी सोनी व कई साथियों ने हिस्सा लिया।

पिछड़ों का आंदोलन, दलितों का आंदोलन, किसान आंदोलन, नक्सल आंदोलन, आदिवासी इलाकों का आंदोलन – पिछड़ों और दलितों के अभूतपूर्व जागरण के ये सारे आंदोलन दिशाहीन और प्रभावहीन हो रहे हैं। इस विफलता के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक प्रमुख कारण यह है कि पिछड़े समूहों का नेता प्रारंभिक सफलता के बाद अपना संतुलन खो देता है। वह स्वेच्छाचारी हो जाता है। उसका आचरण भ्रष्ट होने लगता है। उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। देश और समाज निर्माण की भावना उसकी राजनीति से हट जाती है। वह समझने लगता है कि उसका उत्थान ही पूरे पिछड़े समूह का उत्थान है। अंबेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे, जिनका पतन नहीं हुआ था।

हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि द्विज नेताओं का पतन नहीं होता। हम यह भी कहना नहीं चाहते कि द्विजों का पतन कम होता है। हम यह कहना चाहते हैं कि शूद्र राजनेताओं की अवसरवादिया और संकीर्ण दृष्टि के कारण पिछड़ों के जागरण और आंदोलन की क्रांतिकारी संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। आधुनिक भारत के राजनीतिक विकास के साथ जातियों का उत्थान-पतन भी जुड़ा हुआ है।

किशन पटनायक

('संभावनाओं की तलाश' से साभार)

समाजवादी जन परिषद का राजनैतिक व आर्थिक प्रस्ताव

मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम के तहत केसला में 26-27 फरवरी को संपन्न हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति व 2024 के आम चुनाव में सजप की भूमिका और देश की हालात पर प्रस्ताव पारित हुए। प्रस्ताव में कहा गया है :

समाजवादी जन परिषद नरेंद्र मोदी के नेतृत्ववाली भाजपा सरकार को न सिर्फ सहिष्णुता की दृष्टि से बल्कि देश की प्राकृतिक संसाधनों की लूट, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति भी खतरा मानता है। सजप का स्पष्ट मानना है कि भाजपा सरकार न सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बुरी तरह से दबाना चाहती है बल्कि युवा हितों के भी खिलाफ है। यदि ऐसा नहीं होता तो 'अग्निवीर' जैसी योजनाएं नहीं लाई जातीं और न युवा लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए कानूनी नोटिस ही दी जाती और न नेहा के साथ अपराधी ठहराने जैसा व्यवहार ही करती।

सजप मोदी अदाणी गठजोड़ को 'याराना पूंजीवाद' का सबसे विभत्स रूप मानता और व इस संबंध को देश के अनेक कानूनों का उल्लंघन करने वाला, घोर आर्थिक विषमता को बढ़ानेवाला व राष्ट्र की संपत्ति को लूटनेवाला मानता है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अदाणी के लिए जो कार्पेट बिछाने का काम किया था, वह मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक जारी है। श्रीलंका में अदाणी के विद्युत परियोजना सौंपने के लिए वहां की सरकार पर दबाव डालने का मामला हो या झारखंड स्थित संयंत्र से विजली खरीद के लिए बांग्लादेश की सरकार को ऋण देना हो, गौरतलब है कि झारखंड स्थित उक्त विद्युत संयंत्र से पैदा होने वाले बिजली का एक भी यूनिट देश में उपयोग नहीं होता है। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी मंगोलिया में भी अदाणी के पक्ष में काम करते हैं। वहां की सरकार को नरेंद्र मोदी एक अरब डालर का ऋण सिर्फ इसलिए देते हैं कि मंगोलिया सरकार अदाणी के संयंत्र से बिजली खरीद सके। सजप यद्यपि हिंडनबर्ग को स्वयं सट्टेबाज मानता है, तथापि उसके अदाणी पर रिपोर्ट को महत्वपूर्ण मानता है व इस रिपोर्ट में किए गए खुलासों की जांच संसद की संयुक्त कमेटी से करा कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करता है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अदाणी के जालसाजी को मीडिया में आने से रोकने से मना करने के फैसले की सराहना करता है। सजप अदाणी द्वारा धन शोधन के लिए 'मॉरीशिस रूट' का उपयोग करने के लिए कांग्रेस को भी दोषी मानता है। क्योंकि दोहरे कराधान के बचाने के लिए कांग्रेस सरकार ने मॉरीशस से 'दोहरा कराधान परिहार समझौता (द टैक्स एवॉयडेंस एग्रीमेंट, डीटीएए) किया गया था, जिसने भारत में तमाम काले धन के निवेश का द्वार खोल दिया था।

सजप विदेश मंत्री एस. जयशंकर का चीन पर दिए गए इस बयान की आलोचना करता है कि चीन भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। सजप मानता है कि भारत की विदेश नीति 'पाकिस्तान को आंख दिखाओ, पर चीन के प्रति चुप रहो' वाला होकर रह गया है। अतः छप्पन इंच के सीने की सच्चाई आमने आ गई है।

सजप मोदी सरकार को आदिवासी व गांव विरोधी मानता है। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा वन अधिकार कानून, 1980 के नए नियम 28 जून 2022 को गजट द्वारा अधिसूचित कर वर्ष 2003 के उन प्रावधानों को हटा दिया गया है, जो कि आदिवासियों को वनों पर पारंपरिक अधिकार प्रदान करते हैं। इसे सरकार संसद द्वारा पारित करा आदिवासियों को जंगलों से बेदखल कर इन जंगलों को जंगलों को कारपोरेट के हवाले करना चाहती है। उक्त संसोधन होने से न सिर्फ 'अनुसूचित जनजाति तथा पारंपरिक बनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' का उल्लंघन होगा, बल्कि लंबे संघर्षों के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा पारित 'पेसा' (पीइएसए) कानून भी शक्तिविहीन हो जाएगा। जिसके रहते ही नियमगिरी पहाड़ को 'वेदांता' जैसे लूटेरी कंपनी से बचाया जा सका था। यही नहीं यदि उक्त संशोधन लागू होता है, तो इसी आधार पर देश की सामान्य ग्राम-सभाओं के सीमित अधिकारों को भी खत्म करने के लिए संविधान का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। गौरतलब है कि अनुसूचित जाति / जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान इस संशोधन को आदिवासी हित के प्रतिकूल मानते हुए आपत्ति दर्ज कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। लेकिन आदिवासी विरोधी सरकार के 'पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन' मंत्री ने झूठे तथ्यों के आधार पर इस आपत्ति को खारिज कर दिया। सजप पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा अनुसूचित जाति व जन जाति आयुक्त को दिए गए झूठे तथ्यों की निंदा करता है व आयुक्त द्वारा नियम संशोधन पर किए गए आपत्ति को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन को निरस्त करने की मांग करता है व प्राकृतिक संसाधनों पर 'ग्राम-सभा' के अधिकार की मांग को दोहराता है।

नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में सत्ता में आने के लिए दिए गए नारों समेत अब तक जितने भी नारे दिए गए हैं, सभी खोखला साबित हुए हैं। सजप यह आशंका व्यक्त करता है कि आगामी 2024 में आम चुनाव में महिलाओं को लुभाने के लिए अनेक खोखले नारों को गढ़ा जाएगा, इसके प्रति सजप महिलाओं को आगाह करने के साथ ही अपील करता है कि देश की महिलाएं मोदी के लुभावने व भ्रामक नारों व प्रचारों में न आकर मोदी को चुनाव में हराने का संकल्प लें।

समाजवादी जन परिषद आगामी 2024 में अपने प्रभाव क्षेत्र वाले कुछ लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा व शेष स्थानों पर वह भाजपा को हराने की अपील देश के मतदाताओं से करता है। सजप न सिर्फ वैश्वीकरण के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धताओं को दुहराता है बल्कि किसानों, मजदूरों, छोटे व्यवसाइयों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के हितों के साथ भी खड़ा है। सजप गांव में अपनी आस्था को दुहराता है व साथ ही लघु व कुटीर उद्योगों के हितों के संरक्षण करने की मांग करता है।

जातिप्रथा और आधुनिक सभ्यता ने मिल कर आदिवासियों को ऐसा कर दिया मानो यह देश उनका नहीं, यानी उनके लिए नहीं है। जातिप्रथा ने उनको समाज से अलग-थलग माना, लेकिन आधुनिकीकरण ने उनको आर्थिक व्यवस्था से. जीविका से, आवास स्थलों से विस्थापित कर दिया। भारतीय समाज में दलित सर्वाधिक घृणित है तो आदिवासी सर्वाधिक बहिष्कृत, दबाया हुआ, वंचित और निरक्षर है। आजाद भारत में अभी तक यह सिलसिला चल रहा है। आधुनिक विकास और उसके उद्योगीकरण का सिलसिला चलता रहेगा तो आदिवासियों की नियति बदलने वाली नहीं है। उनकी भाषा, उनकी कला, उनका हुनर लगभग समाप्त हो गया है।

... आदिवासी को आर्थिक स्वायत्तता चाहिए और विकास का एक ऐसा आर्थिक ढांचा चाहिए जिसका लक्ष्य समानता और स्वावलंबन हो। जंगल उसका होना चाहिए, जल और जमीन पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। आदिवासी बहुल इलाके को 'अलग राज्य' बना देने से भी आदिवासी का शोषण बंद नहीं हो जाता है। ... हमलोग केवल अधिकार की बात न करें, अधिकार के साथ-साथ समतावादी ढांचा और नई विकास नीति चाहिए, जिसमें जनभागीदारी हो। और भागीदारी का मतलब 'दायित्व' होता है।

किशन पटनायक

('संभावनाओं की तलाश' से साभार)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री को लिखा पत्र

(पत्र अंग्रेजी में है, जिसका हिंदी अनुवाद इकबाल अभिमन्यु ने किया है।)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
एफ नं.एनसीएसटी-04/ओएमओएन/4/2022-आरएमडीसी
दिनांक 26 सितंबर 2022

प्रति
श्री भूपेंद्र यादव,
माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री,
भारत सरकार

महोदय,
मैं आपका ध्यान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना (दिनांक 28 जून 2022) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें वन (संरक्षण) नियम 2022 के द्वारा वन संरक्षण नियम 2003 और उसके संशोधनों (2004,2014 एवं 2017) को प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन भारतीय संविधान की धारा 338ए के तहत हुआ है। धारा 338ए का अनुच्छेद 9 कहता है कि 'संघ (केंद्र) और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।'
अतः यह बड़ी चिंता का विषय है कि इतने महत्वपूर्ण संशोधन पर आयोग की राय नहीं ली गई, जबकि इसके अजजा एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों (अपावनि) के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेंगे।

3. आयोग ने 2006 के वन अधिकार कानून और वन एवं अजजा से जुड़े अन्य विषयों पर एक कार्यसमिति का गठन किया है, जिसमें विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा वन अधिकार कानून की समीक्षा में आयोग की मदद की जाती है तथा राज्य एवं केंद्र सरकारों को संबंधित सिफारिशें भेजी जाती है। दिनांक 8 अगस्त 2022 को संपन्न पहली बैठक में कार्यसमिति ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की और हाल ही में अधिसूचित वन (संरक्षण) नियम 2022 के विस्तृत अध्ययन तथा नागरिक समाज के कुछ प्रतिनिधियों एवं कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श के बाद आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि ये नियम अजजा एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को व्यापक रूप से प्रभावित करेंगे। आयोग यह समझने में असमर्थ है कि इतने महत्वपूर्ण प्रावधानों को क्यों कमजोर और निष्प्रभावी बनाया जा रहा है।

4. जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा पर्यावरण मंत्रालय दोनों ने अपनी प्रतिक्रिया (क्रमशः दिनांक 27 जुलाई 2022 व 28

जुलाई 2022) में यह कहा है कि वसं नियम 2022 वस्तुतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में वन अधिकार कानून/वअका) का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि ये दोनों समानांतर वैधानिक प्रक्रियाएं हैं। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पर्यावरण मंत्रालय ने अपने 3 अगस्त 2022 के परिपत्र में – जिसका बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2013 में ओडिशा खनन विभाग बनाम पर्यावरण मंत्रालय एवं अन्य फैसले (नियमगिरि फैसले) में अनुमोदन किया – इस मूलभूत सिद्धांत को माना है कि वअका के लागू होने के साथ ही वन संरक्षण अधिनियम (1980) के तहत वनभूमि के व्यवर्तन (डायवर्शन) की प्रक्रियाएं स्वतः संशोधित हो गई हैं।

5. जमीनी साक्ष्यों से पता चलता है कि अभी तक अगस्त 2009 के परिपत्र और 2014 एवं 2017 के वंस नियमों का भी आंशिक रूप से ही पालन किया जा रहा था और अजजा एवं अपावनि के अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें और सुदृढ़ करने और कड़ाई से निगरानी करने की जरूरत थी। हर वर्ष करीब 25 से 30 हजार हेक्टेयर भूमि का जायवर्शन (व्यपवर्तन) किया जा रहा है, जिससे कारण अजजा एवं अपावसि लगातार अपने वन अधिकारों का उल्लंघन एवं विस्थापन झेल रहे हैं। अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड अनवायरमेंट (एटीआरइइ) के पर्यावरण एवं विकास केंद्र की एक रपट, जो आयोग के पास उपलब्ध है, यह दर्शाती है कि 2009 से 2018 के बीच खनन के लिए वन भूमि के डायवर्शन (व्यपवर्तन) के 128 आवेदनों में से 100 पर विचार किया गया, जिनमें से 74 को अनुमति (चरण 2) प्रदान की गई, 46 को सिद्धांतः अनुमति (चरण 1) मिल गई और सिर्फ 5 को अस्वीकार तथा 4 को विभिन्न कारणों से निरस्त किया गया। अस्वीकृत आवेदनों में से किसी को भी वअका का पालन न करने या अधिकृत ग्राम सभाओं की आपत्ति के चलते खारिज नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, (2014 के बाद के) 14 मामलों, जिनमें समस्त दस्तावेज उपलब्ध हैं, प्राप्त जानकारी दिखाती है कि वअका की प्रक्रिया के संपन्न हो जाने संबंधी कलेक्टर के प्रमाण पत्र जमीनी सच्चाइयों के विपरीत होने पर भी जारी कर दिए गए; ये सभी भूभाग वनीय थे तथा इन पर वन निवासियों की रिहाइश थी, लेकिन सामुदायिक वन संसाधन संबंधी प्रक्रियाएं कहीं भी पूरी नहीं की गई थी। जमीनी जांच से यह भी पता चला कि परियोजनाओं पर चर्चा के लिए आयोजित ग्राम सभाओं में वनों पर सामुदायिक अधिकार होने की संभावना का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। नए संशोधनों से इस तरह के उल्लंघनों की संख्या में वृद्धि होगी।

6. ज्ञातव्य है कि लागू होने के 16 वर्ष बाद भी वअका के कुल सामर्थ्य का सिर्फ 10 प्रतिशत ही कार्यान्वयित किया गया है, जो कि कुल सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों–जो ग्राम सभाओं को अपनी पारंपरिक सीमाओं के भीतर उपस्थित वनों के टिकाऊ रूप से उपयोग, प्रबंधन एवं संरक्षण का अधिकार देते हैं–के 3 प्रतिशत से भी कम है। 2014 एवं 2017 के नियमों के अंतर्गत चरण 1 की स्वीकृति से पहले (ग्राम सभाओं की) सहमति एवं अधिकारों को मान्यता देने की शर्त, कम से कम ऐसे इलाकों में वअका के तहत अधिकारों की मान्यता एवं पंजीयन को सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी दायरा मुहैया कराती थी, जहां वनों का डायवर्शन किया जा रहा है।

7. यही कारण है कि वअका के क्रियान्वयन तथा वन संरक्षण अधिनियम (असंअ) की प्रक्रियाओं को अलग-अलग समानांतर प्रक्रियाएं नहीं माना जा सकता। इन दोनों कानूनों को एक दूसरे से जोड़ कर लागू करने की आवश्यकता है, ताकि वअका के उद्देश्य – अजजा एवं अपावनि के अधिकारों की पहचान एवं संरक्षण की पूर्ति की जा सके। वन/पर्यावरण मंत्रालय का 3 अगस्त 2009 का परिपत्र विशेष रूप से वअका के तहत अजजा एवं अपावनि के वन अधिकारों को मान्यता एवं सुरक्षा प्रदान करने के दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से लाया गया था। इसके लिए वन

संरक्षण अधिनियम एवं वन अधिकार कानून के प्रावधानों को आपस में समायोजित करने की आवश्यकता थी। इस बात को जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा 12 जुलाई 2012 को जारी दिशा-निर्देशों में और स्पष्ट किया गया है, तथा इसके लिए कानूनी आधार 2003 के वन संरक्षण नियमों में 2014 एवं 2017 के किए गए संशोधनों द्वारा प्रदान किया गया।

अतः यदि 2022 के वसं नियम के तहत वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिकार कानून को अलग अलग समानांतर प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाता है, तो इससे ऐतिहासिक अन्यायों की पुनरावृत्ति होगी और साथ ही वैधानिक बाध्यताओं का भी उल्लंघन होगा। साथ ही 'वअका के तहत अधिकारों का निराकरण' (धारा 9(6)(बी)(दो)) जैसी भाषा का प्रयोग करने से – बजाय यह करने के कि 'वअका के तहत अधिकारों की स्वीकृति' दी जाएगी – ऐसा आभास होता है कि पर्यावरण/वन मंत्रालय यह मान के चल रहा है कि वनभूमि के डायवर्शन से प्रभावित वन अधिकारों का किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजे के जरिए 'निकारण' कर दिया जाएगा और अधिकार प्राप्त लोगों को नियमानुसार डायवर्शन को स्वीकृति देने का खारिज करने का मौका नहीं दिया जाएगा।

8. आयोग वअका का दो प्रमुख तरीकों से उल्लंघन होने की संभावना पाता है :

एक – चरण 1 के तरहत स्वीकृति के पहले (भूमि धारकों की) सहमति तथा वअका की प्रक्रियाओं के पूरे होने की शर्त हटा देना :

वन अधिकार कानून के तहत उन जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों को वन भूमि एवं वनों पर व्यापक अधिकार एवं प्रबंधन की शक्ति दी गई है जो पारंपरिक रूप से इन इलाकों में रहते हैं। अतः गैर-वनीय उपयोग के लिए ऐसी वन भूमि के डायवर्शन के लिए धारकों की सहमति की जरूरत होती है। इस सुनिश्चित करने के लिए वन संरक्षण संबंधी प्रक्रियाओं (जैसा कि 2014 के संशोधित नियमों में उल्लिखित है) में वन अधिकार कानून की शर्तों के तहत वन अधिकारों की पहचान एवं हस्तांतरण करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। इस प्रक्रिया में शामिल हैं : पट्टे जारी करना, प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी तथा आदिवासियों एवं अपावनि समुदायों पर इसके प्रभावों को ग्राम सभा में रखना तथा चरण 1 की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजने के पहले उनकी अग्रिम सुचिंतित सहमति लेना। लेकिन नए नियमों ने सहमति लेने की शर्त को खत्म ही कर दिया है एवं (वन) अधिकारों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया को चरण 1 या चरण 2 तक की मंजूरी के बाद पूरा किए जाने के लिए छोड़ दिया है। इससे हम यही समझ सकते हैं कि परियोजनाओं के प्रस्तावक, चरण 1 की मंजूरी प्राप्त करने एवं मुआवजे हेतु अग्रिम राशि का भुगतान – केंद्र सरकार द्वारा परियोजना की मंजूरी के प्रतीक के रूप में – करके, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से वनों का शीघ्र डायवर्शन (प्रत्यर्पण) करने हेतु संपर्क कर सकते हैं। इससे वअका के तहत अधिकारों की पहचान एवं निराकरण गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

दो – क्षतिपूर्ति वनीकरण तथा लैंड बैंक के निर्माण की प्रक्रियाओं में वअका का उल्लंधन :

2022 के वन संरक्षण नियम क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए सामुदायिक भूमि और निम्नीकृत (बंजर) वन भूमि को चिह्नित कर उन पर लैंड बैंक बनाने का प्रावधान करते हैं। इससे परियोजनाओं को जल्दी मंजूरी मिलने में आसानी होगी लेकिन वन अधिकार कानून के पालन हेतु इसमें कोई प्रावधान या नियम नहीं रखे गए हैं। वन संरक्षण नियम 2022 यह भी प्रस्ताव कर सकते हैं कि वह गैर वन भूमि जहां राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व से विस्थापित गांवों का पुनर्वास किया गया हो, या टाइगर एवं अन्य वन्यप्राणी कॉरिडोर के लिए चयनित या निर्धारिक गैर वन भूमि भी, क्षतिपूर्ति वनीकरण और प्रतिपूरक (क्षतिपूर्ति) वनीकरण (एक्रीडिटेड कंपेनस्टेरी एफोर्स्टेशन) के लिए उपलब्ध होगी (नियम 11(3)(एफ))। इसके चलते सुरक्षित क्षेत्रों से विस्थापन को बढ़ावा मिलेगा, बजाय इसके कि वन अधिकार कानून के उचित प्रावधानों के तहत सह-अस्तित्व की संभावनाओं की तलाश की जाए।

9. उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित सिफारिशें करता है :

एक – 2022 के वन (संरक्षण) नियमों को तुरंत निलंबित किया जाए।

दो – 2014 के वन संरक्षण नियमों, जिन्हें 2017 में और मजबूत किया गया था, के निम्नलिखित प्रावधानों को पुनर्स्थापित किया जाए एवं सबल बनाया जाए और इनके पालन की सख्ती से निगरानी की जाए। :

(क) संबंध जिला स्तरीय समिति से कड़ाई से वन अधिकार कानून (2016) के पालन का अनुरोध किया जाए। खासकर उस पूरी वन भूमि अथवा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए चिह्नित किसी अन्य भूमि के संबंध में, जिनका उल्लेख (डायवर्शन के) प्रस्ताव में किया गया है।

(ख) प्रस्ताव में डायवर्शन (प्रत्यर्पण) के लिए चिह्नित वन भूमि पर पूर्ण या आंशिक अधिकार रखने वाली प्रत्येक ग्राम सभा की अनुमति तथा साह ही क्षतिपूर्ति उपायों के लिए चिन्हित किसी भी प्रकार की भूमि पर अधिकार रखने वाली ग्राम सभाओं की अनुमति ली जाए, जिसके पहले उन्हें डायवर्शन के उद्देश्य एवं अन्य बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी ऐसी प्रक्रिया से दी जाए। अनुमति हासिल करने की प्रक्रिया में ग्राम सभाओं की स्वयं की भागीदारी सुनिश्चित हो।

तीन – वन सलाहकार समिति में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का एक सदस्य, वन संबंधित मुद्दों से भलीभांति परिचित एक समाज विज्ञानी, एक नृतत्वशास्त्री (एनथ्रोपॉलोजिस्ट) और एक जेंडर (लिंग) मामलों के विशेषज्ञ को शामिल किया जाए ताकि वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा अन्य पारंपरिक वन निवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आजीविका संबंधी एवं अन्य चिंताओं/आपत्तियों का ध्यान रखा जा सके।

चार – वन (संरक्षण) नियमों में किसी संशोधन से पहले पर्याप्त सलाह और विमर्श किया जाए और इस हेतु अनुसूचित जनजाति आयोग से भी परामर्श लिया जाए।

उपरोक्त उपयुक्त संशोधनात्मक कार्यवाही की अपेक्षा के साथ आपके उत्तर के लिए प्रतीक्षारत हूं।

भवदीय

(हर्ष चौहान)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

... भ्रष्टाचार की एक व्यापक परिभाषा करना जरूरी है जिसमें कानूनी व गैरकानूनी, सरकारी और बाजार की लूट सब शामिल हों तथा जिनका आपसी गहरा संबंध भी उजागर हो सके। इसमें गैरकानूनी आचरण तथा अनियमितताओं के अतिरिक्त नीतिगत भ्रष्टाचार को भी शामिल करना चाहिए। यह इसीलिए भी जरूरी है कि संकीर्ण अर्थ में भ्रष्टाचार यानी गबन, जालसाजी, घूसखोरी-कमीशनखोरी, घपलों और घोटालों की मात्रा भी अंतत इस बात पर निर्भर करती है कि देश में कैसी नीतियां अपनाई जाती हैं और कैसी व्यवस्था बनाई जाती है। इस व्यापक अर्थ को प्रकट करने के लिए 'लूट' भी एक अच्छा शब्द है।

सुनील
('भ्रष्टाचार को कैसे समझें' से साभार)

किसान आदिवासी संगठन - समाजवादी जन परिषद केसला जिले की एक रपट

किसान आदिवासी संगठन और समाजवादी जन परिषद के कार्यकर्ताओं ने पिछले साल नवंबर से लेकर इस साल के फरवरी के बीच विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और बैतूल जिले में विभिन्न जगहों में प्रदर्शन और सभा की। कार्यकर्ताओं ने सरकार और जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपे। उन्होंने सरकार और प्रशासन को साफ-साफ चेताया भी कि उनकी मांगों पर गौर नहीं करने पर उनके खिलाफ आंदोलन और तेज किया जाएगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने पांचवी अनुसूचित जन जाति कानून (पैसा) के तहत कर लगाने का प्रावधान किया है जिसे 89 ब्लाकों में लागू किया जाना है। ये प्रावधान ऐसे हैं जिससे गरीब आदिवासियों के उनके पारंपरिक अधिकार छिन जाए। प्राकृतिक संपदाओं पर उन्हें पूरा अधिकार नहीं मिले। ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान की भावनाओं से मेल नहीं खाते। ऐसे प्रावधानों से सरकार की आदिवासियों के हितों पर कुठाराघात करने मंशा का खुलासा हो रहा है। किसान आदिवासी संगठन और सजप ने इसका पुरजोर लगातार विरोध कर रहे हैं।

किसान आदिवासी संगठन और सजप के किसान मजदूरों ने अपने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लकर 3 फरवरी 2023को केसला के आमबगीचा हाट में अधिकार रैली निकाली और धरना का कार्यक्रम किया। आखिर में दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम 11 सूत्री मांग पत्र स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त तहसीलदार को सौंपा।

उनकी मांगों में 50 साल से जिस जमीन पर गरीब किसान, मजदूर, दलित काबिज हैं, उस जमीन का उनके नाम पट्टा बना कर देने, वन अधिकार कानून के तहत वन मित्र पोर्टल की जिन जमीन के दावे लगे हैं, उनका सत्यापन कर उन जमीन को गरीब किसानों के नाम पट्टा देने, गरीब मजदूरों की मजदूरी में सम्मानजनक बढ़ोतरी और उसका भुगतान करने, स्थाई वनग्रामों के गैर आदिवासियों को किसानों का दर्जा देने, उन्हें काबिज जमीन का पट्टा और सरकारी योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ देने, बेसहारा बूढ़ों, विधवाओं, निशक्त जनों के मिल रहे पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी करने, सभी छोटे किसानों को श्रमिक कानून के तहत कुशल श्रमिक की स्वीकृति देने, तेंदू पत्ता बोनस का तुरत भुगतान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास की राशि को मौजूदा महंगाई के मद्देनजर बढ़ाने, इन क्षेत्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पिछले कई महीनों से रोक रखे गए मेहनताना का तुरत भुगतान करने की प्रमुख मांगें हैं।

राज्य की भाजपा सरकार ने इंदौर में 7 से 12 दिसंबर 2022 तक एक ग्लोबल मीट्स का आयोजन किया। इसमें हिस्सा लेने के लिए आए देशी-विदेशी 70 देशों के अप्रवासी कंपनियों के प्रतिनिधियों के स्वागत व आवभगत करने और शहर को सजाने में गरीब किसानों, मेहनतकश मजदूरों की गाढ़ी कमाई के 200 करोड़ रुपये खर्च किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम में विदेशी कंपनियों को पांच लाख एकड़ जमीन देने का फैसला किया गया। देशी-विदेशी कंपनियों को लूट की खुली छूट देने के तमाम उपाय करने का फैसला किया हुआ। किसान आदिवासी संगठन और सजप ने रैली में इस बारे में विस्तार से चर्चा की और पुरजोर विरोध जताया।

रैली में वितरिक परचे में कहा गया है कि भाजपा सरकार एक तरफ देशी-विदेशी कंपनियों को पांच लाख एकड़ जमीन

मुहैया करा रही है और दूसरी तरफ गरीब किसानों, आदिवासियों, दलितों की जमीन छीन कर उन्हें उजाड़ रही है। उनके मेहनताना में कोई बढ़ोतरी नहीं कर रही है। उनका जीना दुभर हो गया है।

सरकार अपने विधायकों, मंत्रियों, सांसदों के वेतन, भत्ते, पेंशन में खूब बढ़ोतरी कर रही है। बड़ी पार्टियां गरीबों से वोट लेती हैं लेकिन हित पूंजीपतियों की करती हैं। राज्य के जिलों के लाखों की तादात में गरीब, छोटे किसान छोटे घास की मिनाई और बढ़े झाड़ की जमीन में तीन-तीन पीढ़ियों से काबिज हैं, खेती कर रहे हैं, पर सरकार उन्हें जमीन का पट्टा बना कर नहीं दे रही है।

एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि उनकी सरकार किसानों को जमीनों और मकानों के पट्टा देगी, जिस पर वे 50 साल से काबिज हैं और उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। लेकिन सरकार कर रही है ठीक उल्टा।

सरकार ने वन अधिकार कानून का ठीक से क्रियान्वयन नहीं किया जिससे बड़ी संख्या में किसानों को जमीन पर हक नहीं मिला। स्थाई वन ग्रामों के गैरआदिवासियों को किसान का दर्जा तक नहीं दिया जा रहा है और न ही सरकारी योजनाओं का कोई लाभ मिल रहा है। उनके बीच भयंकर आर्थिक गैरबराबरी है। बेवाओं, बूढ़ों के पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकार और प्रशासन में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, लूट, अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं रह गई है।

सजप ने केसला क्षेत्र में 7 फरवरी को रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाली महिला मजदूरों के तीन माह के बकाए वेतन का भुगतान करने की मांग को लेकर ब्लाक स्तर पर विरोध जताया और मांग पत्र सौंपा।

किसान आदिवासी संगठन और सजप ने 16 फरवरी को तवा विस्थापित किसानों की समस्याओं को लेकर विरोध जताया और स्थानीय प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। इतनी ही नहीं, दोनों संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर गरीब किसानों और मजदूरों की तमाम समस्याओं को बताया गया और बकाया भुगतान करने की मांग की गई। कहना न होगा कि बैतूल में संगठन के कार्यकर्ताओं का एक दिन का शिविर लगा और उसमें संगठन को मजबूत करने व सदस्य बढ़ाने, विभिन्न कार्यक्रम करने की चर्चा की गई।

24 जनवरी को बैतूल जिले के शाहपुर छोड़ाडोंगरी और बिचोली ब्लाकों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली का मकसद शाहपुर में गंजन सिं, मौकम सिंह क्रांतिकारियों के चौपाल पर लगे पौधों पर मिट्टी डाल कर स्मरण करना था जिन्होंने देश के लिए लड़ाई की।

सजप के मध्य प्रदेश इकाई के महामंत्री राजेंद्र गढ़वाल, राष्ट्रीय समिति के सचिव फागराम ने दोनों संगठनों के ऊपर लिखे कार्यक्रमों की रपट को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक (केसला, 26-27) में पेश की।

बात साफ है। देश की राजनीति एक धंधा बन चुकी है। जैसे राष्ट्रीय जीवन के दूसरे क्षेत्रों का व्यावसायीकरण हुआ है, उसी तरह राजनीति का भी हुआ है। अब वह जन सेवा, समाज सेवा या व्यवस्था परिवर्तन का औजार नहीं रही, शुद्ध व्यवसाय हो चुकी है जिसमें इसके 'उद्यमी' पहले चुनाव के वक्त पूंजी लगाते हैं और बाद में कई गुना कमाते हैं। इसी के साथ चुनाव में धन (विशेषकर दो नंबरी धन) की भूमिका बेतहाशा बढ़ती जा रही है। 'राजनीति और व्यवसाय', 'सरकारी' तथा 'निजी' का फरक धुंधला होता जा रहा है। पहले नेताओं और पूंजीपतियों का गठजोड़ होता था, किंतु अब दोनों का मिश्रण व घालमेल होता जा रहा है। नेता पूंजीपति-ठेकेदार बन रहे हैं और पूंजीपति-ठेकेदार नेता बन रहे हैं। दोनों की मिलीजुली संकर नस्ल तैयार हो रही है।

सुनील

('भ्रष्टाचार को कैसे समझें' से साभार)

समाजवादी नेता सुनील और राजनारायण की स्मृति में सम्मेलन

अस्सी और नब्बे के दशक में आदिवासियों, विस्थापितों, शोषित वर्गों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले राजनैतिक कार्यकर्ता, नेता व चिंतक सनील और राजनारायण की स्मृति में केसला में 20 अप्रैल को वार्षिक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन किसान आदिवासी संगठन और समाजवादी जन परिषद के स्थानीय कार्यालय में आयोजित किया गया। इस मौके पर केसला, सोहागपुर, माखननगर बलॉक के साथ बैतूल और हरदा जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने काफी संख्या में इकट्ठा होकर अपने दोनों नेताओं को याद किया और वर्तमान सामाजिक, राजनैतिक परिदृश्य में चर्चा कर आगे के संघर्ष की रूपरेखा तय की। गौरतलब है कि राजनारायण का आकस्मिक निधन 26 अप्रैल 1990 को एक सड़क दुर्घटना में हो गया था जबकि सुनील का देहांत 21 अप्रैल 2014 को मस्तिष्काघात के चलते हुआ। केसला और आसपास के क्षेत्रों के तमाम लोग अपने दोनों लोकप्रिय नेताओं की पुण्यतिथि संयुक्त रूप से मानते हैं।

सम्मेलन की शुरुआत में सजप के राष्ट्रीय सचिव, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष फागराम ने क्षेत्र में संगठन को खड़ा करने में राजनारायण और सुनील के ऐतिहासिक योगदान को याद किया। उन्होंने बताया कि इटारसी के रहने वाले राजनारायण और दिल्ली में पढ़ रहे सुनील कैसे छात्र जीवन में समाजवादी आंदोलन से प्रभावित होकर इस इलाके में आए और गांव-गांव में घूम-घूम कर आदिवासियों और विभिन्न विकास परियोजनाओं (तवा बांध, प्रूफ रेंज,आर्डिनेंस फैक्ट्री, बोरी अभ्यारण्य) से विस्थापित लोगों का संगठन खड़ा किया। इस दौरान न केवल इलाके में गरीबों और आदिवासियों को उनकी भूमि पर अधिकार, डूब की खेती पर अधिकार, वन विभाग की प्रताड़ना से मुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली जैसी सुविधाओं को मुहैया कराने की मांग को लेकर सफल संघर्ष हुए, बल्कि रचनात्मक आंदोलन के तौर पर विस्थापितों को तवा जलाशय की मछली को पकड़ने और बेचने का अधिकार एक सहकारी संस्था के माध्यम से दिया गया। फागराम ने कहा कि ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के कमजोर पड़ने और संगठन की भावना छोड़े देने के कारण कुछ समय से आंदोलन कमजोर हुआ है, लेकिन सुनील और राजनारायण को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इस इलाके के लोग अपने अधिकार के लिए एकजुट हों और संघर्ष को तेज करें।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए सजप के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र गढ़वाल ने सुनील और राजनारायण को श्रद्धांजलि अर्पित की और क्रांति गीतों व नारों के माध्यम से सभा में ऊर्जा का संचार किया। सजप और श्रमिक आदिवासी संगठन के वरिष्ठ नेता अनुराग मोदी ने अपने वक्तव्य में श्रोताओं को ललकारते हुए कहा कि कोरी श्रद्धांजलियों के बजाय हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि आज किसान और आदिवासी अपनी संस्कृति को क्यों भूलते जा रहे हैं और नई पीढ़ी में आपस में सलाह कर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का जज्बा क्यों नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम मिल कर आदिवासी दर्शन और संस्कृति को बचाने का संकल्प लें, यही हमारे साथियों के संघर्ष को आगे बढ़ाने का तरीका है। इस पर वाराणसी विशेष रूप से आए किसान मजदूर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र ने गांधी के सपने को सुनील और केसला के आंदोलन के सपने से जोड़ते हुए 'सपनों की लड़ाई' को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इटारसी महिला महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य सुश्री विद्या जैन ने समाजवादी

संघर्ष के पुराने दिनों में साथ राजनारायण के कुछ प्रसंगों को याद करते हुए कहा कि सुनील और राजनारायण उन्हें प्रेरणा देते थे और उनका संघर्ष अनुकरणीय है।

ग्राम नया काकड़ी के जय सिंह, ढाबा कलां के मोतीराम समेत कई लोगों ने दोनों नेताओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात रखी। सम्मेलन में सजप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य स्मिता मौजूद थीं।

आखिर में सुनील अमर रहें, साथी तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे जैसे जोरदार नारें बुलंद किए गए।

भारत में हम जिसको विद्यार्थी आंदोलन या युवा विद्यार्थी कहते हैं वह वर्ग निरपेक्ष नहीं है। निम्न मध्यम वर्ग का युवा पीढ़ी ही उसकी शक्ति स्रोत है, लेकिन इस आंदोलन का रूझान अभी तक मजदूर परस्त या सर्वहारा प्रेमी नहीं रहा है। युवा, किसान और मजदूर – ये तीनों विद्रोही तबकों को कैसे एक क्रांतिकारी राजनीति में, एक रणकौशल में जोड़ा जा सकता है, यह एक कठिन और जटिल समस्या है। लेकिन इसका रास्ता निकालना ही होगा। केवल किसान आंदोलन द्वारा या केवल देहाती मजदूरों के संगठन के द्वारा या औद्योगिक मजदूरों के संगठन के द्वारा यह संभव नहीं है।

सामंतवाद के विरुद्ध लड़ाई अक्सर किसानों-मजदूरों की आपसी लड़ाई में परिणत हो जाती है। कारण, सामंतवाद को ठीक ढंग से पहचाना नहीं गया है। सामंतवाद का जो अर्थ भारत का वामपंथ समझता है, इस अर्थ में सामंतवाद लगभग लुप्त हो गया है। उस अर्थ में सामंतवाद केवल उन इलाकों में मौजूद है जहां हजारों एकड़ की बेनामी जमीन किसी परिवार के पास हो. यह होगा गैरकानूनी सामंतवाद। लेकिन हम जानते हैं कि सामंतवाद सारे देश में व्याप्त है। तो यह कौन सा सामंतवाद है? यह सामंतवाद हमारे समाज और हमारी आधुनिक संस्कृति की बुनियाद है। हमारा पूंजीवाद ही सामंती पूंजीवाद है। यूरोप के पूंजीवाद के साथ-साथ यूरोपीय समाज में एक पूंजीवादी संस्कृति भी पैदा हुई जिसने सामंतवाद को खतम किया और गोरे लोगों के बीच सामाजिक समता और मानवीयता को नए मूल्यों के तौर पर स्थापित किया है और पारंपरिक मानवता बोध को समाप्त करके कोई नया मानवीय मूल्य के तौर पर स्थापित किया है और पारंपरिक मानवता बोध को समाप्त करके कोई नया मानवीय मूल्य नहीं दिया है। नई औपनिवेशिक संस्कृति और पुरानी जातिप्रथा दोनों का अभूतपूर्व मेल हो गया है। इस मेल का सबसे स्पष्ट उदाहरण इन देशों की नौकरशाही में देखने को मिलता है। अगर आधुनिक जमींदार देखना है तो जिला कलेक्टर को देख सकते हैं। गांव में सामंतवाद को उसी तरह नया जीवन मिला है। जमीन की सामंती मिल्कियत अभी कुछ ही इलाकों में रह गई है, नव सामंतवाद का आधार हजारों एकड़ की मिल्कियत नहीं है। जिनके पास दस-बीस एकड़ जमीन है लेकिन जो आधुनिक खेती कर सकते हैं और परिवार के दूसरे लोगों को शहरी धंधे में लगा सकते हैं या उच्च जाति के होने के कारण गांव के लोगों पर रौब जमा कर विशेषाधिकार प्राप्त कर सकते हैं – उनका दबदबा ग्रामीण इलाकों में रहता है। उस परिवार के कुछ लोग नौकरशाही में होने पर सामंती प्रभाव जमाने में अधिक आसानी होती है। आधुनिक खेती का मतलब है ट्रैक्टर, खाद आदि पर लागत खर्च को बढ़ा सकें और ऐसी चीजों का उत्पादन करें जिसकी खरीददार आम जनता न होकर सरकार या विदेशी लोग हों। मजदूरों की लड़ाइयां इस तरह के नव सामंतों के खिलाफ नहीं हो पाती है या कारगर नहीं होती है क्योंकि धनी किसानों का वह तबका गांव में रहता ही नहीं है। धनी किसान परिवारों ने गांव में अच्छा मकान बनाना छोड़ दिया है – उनकी अच्छा मकान शहर में बनता है जहां उनके बच्चे बढ़ते हैं और शहरी संस्कृति में पले हैं। इस परिवर्तित संदर्भ को समझ कर सामंतवाद विरोध की रणनीति बनानी पड़ेगी।

किशन पटनायक

('संभावनाओं की तलाश' से साभार)

युगों बाद लौटा है सारस

अतुल कुमार

जी, तो यह वही सारस है जिसे संस्कृत साहित्य में क्रौंच पक्षी कहा गया है। यह वही क्रौंच पक्षी या सारस है, जिसने मर्हषि वाल्मिकी को करुणा से भर दिया था और जिसके कारण से मानव सभ्यता को अपूर्व महाकाव्य मिला। इसी सारस जोड़े के बलिदान से मर्हषि में करुण रस की अभिव्यक्ति हुई और रामायण जैसे महाकाव्य का नवसृजन हुआ। इसी सारस के निमित्त से उत्पन्न करुण रस को महाकवि भवभूति ने मूल रस (एको रसः करुणमेव) कहा है। यानी कि करुणा मानवता, सृष्टि और परम तत्व का मूल है। करुणा के बिना सारे रस बेमानी हैं। संपूर्ण सृष्टि और भूजगत निष्प्राण है। ठीक दूसरी ओर इसी करुणा का अतिक्रमण करने पर सृष्टि का भयंकरतम माने जाने वाला शाप (मा निषाद प्रतिष्ठाम् त्वमगम शाश्वती समा) भी सृजित हुआ, जिसमें कोई प्रायश्चित और अस्वीकरण नहीं दिया गया, जैसा कि धर्म में ऋषि-मुनियों द्वारा दिए जाने का वृतांत मिलता है।

रामायण की कथा के मुताबिक बहेलिए के वाण से प्रेमालिंगनबद्ध जोड़े में एक सारस के मारे जाने के बाद दूसरे मादा सारस ने भी करुण विलाप करते हुए इसी भाव से प्राण त्याग दिया था। पूरी घटना को प्रत्यक्ष देख रहे आदिकवि में वहीं से करुणा आर्तनाद कर उठी और एक ओर महाकाव्य तो दूसरी ओर घोरतम शाप का उद्‌भव हुआ।

वह करुणा ही थी जिसने एक वाण लगे पक्षी को बचाने की जद्दोजहद ने राजकुमार सिद्धार्थ को तरण बुद्ध तक का सफर तय करने का रास्ता बना दिया। चचेरे भाई देवदत्त के वाण से घायल संभवतः वह पक्षी सारस ही रहा हो। इसे बचाने के लिए तत्पर हुए सिद्धार्थ को अपने भाई से ही इस बात को लेकर लंबी बहस करनी पड़ी कि मारने वाला बड़ा है या बचाने वाला। अंततः मामला राजा शुद्धोधन के पास गया और उन्होंने पक्षी को बचाने वाले के पक्ष में फैसला सुनाया।उसकी करुण पुकार से राजकुमार सिद्धार्थ में वह करुणा का प्रस्फुटन हुआ, जिसने इतिहास में अपनी अमिट छाप बनाई। इसका नतीजा यह हुआ कि सिद्धार्थ को आजीवन देवदत्त के कोप भाजन बन कर रहना पड़ा और अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। परम पावन दलाई लामा इसी करुणा की मानवता में स्थापित करने की पक्षधरता (एडवोकेसी) पूरी दुनिया में कर रहे हैं।

मनुष्य लोक में पशु-पक्षियों को लेकर जो अनुभूतियां हैं, उसके अनुसार सारस अति भावुक पक्षी होता है। सारस को प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भारत में इस पक्षी को दांपत्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कई जगहों, जैसे गुजरात में नवविवाहित जोड़ों के लिए सारस युगल का दर्शन करना जरूरी परंपरा की तरह माना जाता है। सारस एक विशाल उड़ने वाला पक्षी है। यह अपने जन्म के बाद करीब एक साल की उम्र में एक ही बार प्रेम करता है, जिसका आजीवन निर्वाह करता है। ऐसा माना जाता है कि सारस के जोड़े में किसी कारण से एक मर जाए या बिछुड़ जाए तो दूसरा भी प्राण त्याग देता है।

उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों यही सारस उद्‌भुत हुआ है। अपनी करुणा, प्रेम, संवेदनशीलता के साथ। घायलावस्था में पानी पिलाने वाले और देखभाल करने वाले अपने त्राता आसिफ के प्रति वह इतना कृतज्ञ हो उठा कि शासन द्वारा खुद पर जानिसार हो जाने वाले आसिफ को जबरन जुटा कर पक्षी उद्यान में कैद कर देने के गम को वह भुला नहीं पा रहा है। इस सारस को लेकर उत्तर प्रदेश के वर्तमान अहंकारी

सत्ता के शासनकाल में राजनीति अपने ढंग से चल निकली है लेकिन वह बेजुबान पक्षी अपनी प्रकृति को न छोड़ कर मानव सभ्यता को अलग ही पाठ पढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस राजकीय पक्षी को मुख्यतः गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी व इसी प्रकार के जलवायु वाले अन्य भागों में देखा जा सकता है। भारत में पाए जाने वाला सारस पक्षी यहां के स्थाई निवासी होते हैं और एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं।

सारस को वैज्ञानिक रुप में ग्रुइडाए भी कहा जाता है। ग्रुइफोर्मिस गण की लंबी टांगों और लंबे गले वाले पक्षियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है। सारस कुल के तीन वंशों में संगठित 15 ज्ञात जातियां हैं। सारस अंटार्कटिका और दक्षिण अमरीका को छोड़ कर हर महाद्वीप में पाए जाते हैं।

वैसे तो भारत में इसकी आबादी सबसे ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सारस की संख्या 15 से 20 हजार के आसपास है। ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में पाए जाते हैं। लगभग छह फीट तक ऊंचा यह खेचर प्राणी अपना रहवास जमीन पर ही बनाता है। ये अक्सर वेटलैंड यानी दलदली भूमि में पाए जाते हैं। इनका घोंसला छिछले पानी के पास हरी-भरी झाड़ियों और घास में पाया जाता है। सारस आमतौर पर दो से पांच के ग्रुप में रहते हैं।

उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड और असम जैसे कुछ राज्यों में रहने वाले गोंड जनजाति सारस पक्षी को 'पांच देवताओं के उपासक' के रूप में पूजते हैं।

सारस के बारे में एक बात ये है कि इस पक्षी के पैर और चोंच एक लय में चलते हैं। सारस के पैर और चोंच एक साथ मिल कर चलते हैं। इसके अलावा अगर सारस दो अंडे देती है, तो पहले और दूसरे अंडे के बीच 48 घंटे का अंतर होता है। प्रजनन के समय सारस के लाल पैर, सिर और गर्दन चमकीले हो जाते हैं। सारस के बारे में कुछ रोचक जानकारियां हैं कि इसे विश्व भर में सबसे पड़ा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। विश्व में सारस की आठ प्रजातियां पाई गईं हैं उनमें पांच प्रजातियां भारत में मौजूद थीं जिनमें एक प्रजाति साइबेरियन क्रेन नामक प्रजाति 2002 में विलुप्त हो गई। सारस पक्षी की प्रजातियां धीरे-धीरे विलुप्त की ओर जा रही हैं। सारस शाकाहारी पक्षी होते हैं जो अपने भोजन में कंद मूल, बीज और अनाज खाते हैं और कभी-कभी छोटे जीव भी खाना पसंद करते हैं। इसका वजन छह किलोग्राम होना पाया जाता है। वर्तमान में इसे संकटग्रस्त घोषित किया गया है। ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों में इस पक्षी के विलुप्त हो जाने की आशंका है। सारस 523 किलोमीटर प्रति घंटा की उड़ान भरने की क्षमता रखता है। सारस आसमान में 35-40 हजार फीट ऊंचाई तक उड़ते पाए गए हैं। सारस के दो पैर काफी मजबूत होते हैं। नर और मादा सारस को पहचान पाना मुश्किल माना जाता है। यह एक जैसे ही दिखते हैं मगर मादा नर के शरीर में छोटी पाई जाती है। सारस एक ऐसा पक्षी है जो कई बार आपसी वार्तालाप में कई प्रकार की आवाजें निकालता है। कई बार प्रवास के दौरान यह दूसरी प्रजाति के पास ही अपना सारा जीवन गुजारता पाया गया है। इसका जीवन काल 15-18 साल होता है।

यही सारस सृजित करुणा एक बार फिर ऐसी विषम वेला में उद्भुत होना चाहती है, जब चारो ओर सत्ता के अहंकार में चूर उद्दंड राजदंड अपना आतंक फैलाते हुए घोर अट्टाहास कर रहा है। विशेष परिस्थिति में स्थिति को नियंत्रण में करने और व्यवस्था कायम करने के लिए बनाए गए नियम-कानून का डंडा बेरोकटोक हर पत्ता खड़कने पर अपने राक्षसी उत्ताप से उद्भुत होकर उत्पात मचा रहा है।

तो जब मनुष्य इस विकट स्थिति के समक्ष लाचार हो रहा है, इसके वशीभूत होकर इसी में सहयोगी बन गया है, ऐसे में युगों बाद फिर सारस रंगमंच पर अवतरित हुआ है, आशा की किरण बन कर। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह सारस ही मानवता के लिए दिशा-निर्देशक बनेगा। राह दिखाएगा। करुणा की पुनर्प्रतिष्ठा करेगा। मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए प्रेरित करेगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक अतुल कुमार प्रसाद सिंह द्वारा 14, समसपुर जागीर, पांडवनगर, दिल्ली -110091 से प्रकाशित और दीप कलर स्कैन (प्रा.) लिमिटेड, एफ-5, गली नं. 4 ए, फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-95 से मुद्रित। संपादक : **अफलातून**